संसद में बहस

लिब्रहान आयोग रिपोर्ट

राजनाथ सिंह.................... 5

सुषमा स्वराज.................... 14

अरुण जेटली..................... 20

महंगाई

डा. मुरली मनोहर जोशी... 26

लेख

स्थिर सरकार के लिए वोट
प्रभात झा...................... 29

अन्य

लिब्रहान रिपोर्ट का विश्लेषण.. 22

प्रदेशों से

गुजरात.............................. 13

मध्यप्रदेश............................ 28

सम्पादक

çHkkr >k] lkIn

सम्पादक मंडल

lR;iky

d- d- 'kek

lqtho dqekj flUgk

पृष्ठ संयोजन

/keZUæ dkS'ky

सम्पर्क

Mk- eqdth Lefr U;kl

ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ

ubZ fnYyh&110003

Qksu ua- +91¼11½&23381428

QSDl % +91¼11½&23387887

lnL;rk gsrq % +91¼11½&23005700

सदस्यता शुल्क

okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ जिसकी आत्मा में रति है, जो आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही सन्तुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। }

-श्रीमद्भागवत गीता

रिपोर्ट ने आखिर क्या दिया?

'एक और नया विवाद'

fy ब्राहन आयोग की रिपोर्ट किन कारणों से 'ले' के पहले लीक की गई, वे कारण ज्ञात होते हुए अज्ञात हैं। दो की कस्टडी में एक हजार पेज की रिपोर्ट। एक आयोग दूसरा गृहमंत्री। फिर अखबार में कैसे आया? दोषी किसे मानें? आयोग ने कहा– हमने नहीं किया। गृहमंत्री ने कहा– हमने नहीं किया। सवाल यह उठता है कि लीक फिर किसने किया? लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि 17 साल की मेहनत का प्रतिफल था। कौन जवाबदेह? किसको दोषी कहें? विपक्ष चिल्लाया तो कहा रिपोर्ट 'ले' कर देंगे। लीक कैसे हुआ, का उत्तर यह नहीं है कि 'ले' कर देंगे। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। क्या यह शंका करना विपक्षियों के लिए कि सत्तारुढ़ दल ने झारखंड में होने वाले चुनाव की दृष्टि से ऐसा किया है, गलत होगा? ऐसा इसलिए मन में उत्पन्न होता है कि यूपीए सरकार ने गोधरा कांड पर बनर्जी आयोग की रिपोर्ट बिहार के चुनाव के समय जाहिर की थी।

सरकार 'ले' से पहले मसले पर फंस गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह एक गलत परम्परा की शुरुआत ही नहीं बल्कि दो विश्वसनीय संस्थाओं गृहमंत्रालय और चुनाव आयोग दोनों कटघरे में खड़ी हो चुकी हैं। यह देश के लिए सर्वाधिक चिंता का विषय है।

अब हम विचार करें कि क्या जस्टिस लिब्राहन को इस रिपोर्ट को लीक करने से कोई नफा नुकसान होना था? अगर नफा–नुकसान होना भी था तो सिर्फ सरकार को या विपक्ष का। विपक्ष के पास रिपोर्ट थी नहीं। तब कौन दोषी?

दूसरा सवाल यहां उठता है कि जब विपक्ष ने रिपोर्ट लीक होने के बाद हंगामा किया तो दूसरे दिन रिपोर्ट 'ले' कर दी गई। तो फिर इतने दिनों से कमीशन की रिपोर्ट दबाई क्यों रखी गई थी? हंगामे के एक दिन बाद पेश होने वाली रिपोर्ट अब तक पेश क्यों नहीं की गई? क्या कारण थे? सरकार की नीयत में निश्चित ही कोई न कोई खोट थी।

देशवासियों को यह जानने का पूरा हक है कि लिब्राहन कमीशन आखिर किस सच तक पहुंचा है? यह सच है कि ऐसी रिपोर्ट संसद में पेश करने के लिए सरकार के पास छह माह का समय होता है। पर इसका अर्थ यह तो नहीं हो सकता कि छह माह की अवधि के अंतिम दिन का ही सरकार इंतजार करती रहे और इस बीच अन्य राजनीतिक मुद्दों पर खुद को घिरा पाकर रिपोर्ट लीक कर सरकार उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल भी करे।

हल्ला–हंगामे के बाद रिपोर्ट पेश हुई। सत्रह साल लगाकर जो हासिल किया गया, उससे देश को क्या हासिल हुआ? रिपोर्ट के अंत में नत्थी साठ पन्ने की सिफारिशों में सैद्धान्तिक रूप से कुछ बातें कही गयी हैं और धर्मनिरपेक्षता पर एक लंबा भाषण झाड़ दिया गया है।

आप सभी को ज्ञात होगा कि लिब्राहन कमीशन का गठन 16 दिसम्बर 1992 को हुआ था और उसे तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। अगर निर्णय के अनुसार सोचें तो यह रिपोर्ट 16 मार्च 1993 में आ जानी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो इसका महत्त्व होता और यह भी देखने में आता कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव और उनकी सरकार का क्या रुख है। उनकी सरकार की परीक्षा भी हो जाती।

अगर विचार करें और रिपोर्ट को पढ़ें तो लगता है कि जो कार्य लिब्राहन कमीशन को दिया गया था, वह उस कार्य को छोड़कर दूसरे विषयों पर ज्यादा ध्यान दे दिए। 17 वर्ष बाद आए

इस रिपोर्ट का अब कोई औचित्य बचा है। ऐसा लगता नहीं। फिर भी हमारे कानून मंत्री कहते हैं कि यह रिपोर्ट फैक्ट फाइण्डिंग्स रिपोर्ट है। सवाल यह उठता है कि इस रिपोर्ट में फैक्ट्स क्या है? यह रिपोर्ट तो सिफारिशों से भरा पड़ा है। कोई बताए कि इसमें फैक्ट्स क्या हैं?

हम सवाल करें कि क्या आयोग द्वारा सत्य के रहस्योद्घाटन के लिए सभी तथ्यात्मक पक्षों की जांच की गई है? क्या आयोग ने मीडिया रिपोर्टों व अन्य स्रोतों का अध्ययन किया है? ताकि सत्य का पता चले? अगर ऐसा होता तो आयोग उस समय मीडिया में आए बातों को नजरअंदाज नहीं करता। सितम्बर 1997 में स्व. आर.के. मलकानी ने कहा था कि आई.एस.आई. के एजेन्ट्स कारसेवकों के बीच आ घुसे थे तथा विवादित ढांचे को ध्वसत किया था। क्या आयोग ने स्व. मलकानी का सामना किया था तथा इस संबंध में उनसे प्रश्न किए थे?

लिब्राहन कमीशन को विवादित ढांचे के ढहने की परिस्थितियों की जांच करने के लिए कहा गया था जबकि उसने उस बातों पर अपनी राय दी है, जो जांच के दायरे के बिल्कुल बाहर है, मसलन राजनीति और धर्म के बारे में मीडिया आदि के बारे में कमीशन की राय बिल्कुल अप्रसांगिक है। रिपोर्ट में जांच की रिपोर्ट के बजाए उपदेशात्मक रुख अधिक अख्तियार किया है। इसी कारण से लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट की बात गलत और तथ्य से परे लगता है।

तीन माह में रिपोर्ट प्रस्तुत होती तो पांच सात लाख रुपए में रिपोर्ट तैयार हो जाती। हुआ क्या 17 साल लगाए गए। 48 बार इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया और आठ करोड़ रुपए खर्च किए गए। परिणाम क्या निकला। रिपोर्ट पूरी तरह पक्षपातपूर्ण राजनीति से प्रेरित और किसी खास दल के हितों को देखते हुए तैयार की हुई लगती है।

अटलजी थे या नहीं थे। उनकी क्या भूमिका थी? अगर थी तो क्या आयोग ने अपनी जांच अधिनियम 1952 के (खण्ड 8वीं) में कहे गए इस बात को कि अनुपस्थित व्यक्ति को आयोग दोषी नहीं ठहरा सकता। इसे मान्य क्यों नहीं किया गया। फिर अटलजी का नाम कैसे? आज तक उनको समन ही जारी नहीं किया गया। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि अटलजी के नाम पर इस रिपोर्ट में 22 बार टिप्पणियां की गई हैं? क्या इसे उचित कहा जा सकता है?

दूसरी तरफ देखें कि बाबरी मस्जिद के पैरोकारों– जिसमें सैय्यद शहाबुद्दीन जैसे लोग शामिल हैं, को सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में दोषी नहीं पाया गया। गौरतलब है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1987 में गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करने का प्रयास किया था। फिर इन लोगों की कार्यवाहियों पर आयोग चुप है। आयोग पर 'कलर ब्लाइंडनेश' का आरोप लगाना स्वाभाविक है।

रिपोर्ट की पोल तो स्वतः खुल जाती है जब वह कहता है तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव को विवादित ढांचे गिराए जाने का दोषी नहीं पाया गया है। उन्हें सिर्फ दिन में सपना देखने वाला प्रधानमंत्री बताकर बरी कर दिया है। इतना ही नहीं रिपोर्ट ने तत्कालीन केन्द्रीय सत्ता के किसी भी अंग पर उंगली नहीं उठाई है।

यह कैसे संभव है कि इतना बड़ा ढांचा गिर गया और केन्द्र सरकार को भनक तक नहीं लगी। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और लिब्राहन कमीशन को केन्द्र सरकार की कहीं कोई भूमिका नजर नहीं आई।

जबकि सबको विदित है कि कांग्रेस ने स्व. नरसिंह राव को दोषी पाया और उन्हें 1998 के लोकसभा चुनाव में टिकिट देने से इंकार कर दिया। यही नहीं इस विवादित ढांचे के गिराए जाने पर कांग्रेस पार्टी दो बार माफी मांग चुकी है। पहली बार तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी और फिर श्रीमती सोनिया गांधी ने माफी मांगी। लेकिन लिब्राहन कमीशन स्व. नरसिंह राव और उनकी पार्टी कांग्रेस पर पूरी तरह मौन है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित ढांचा के विध्वंस के बाद शहर के चारों ओर प्रदर्शनकारियों द्वारा लूट और हत्या का तांडव मचाया गया। 20 से अधिक एक वर्ग विशेष के लोग मारे गए। इन्हें चुपचाप दफना क्यों दिया गया? प्रश्न यह उठता है कि कहीं से बाहर से आए आतंकवादी तो नहीं थे? पुलिस ने शक के आधार पर 35 लोगों को दंगा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, पर बाद में प्रमाण के अभाव में सभी को छोड़ दिया गया। उन लोगों पर टाडा क्यों नहीं लगाया गया?

सारा देश जानता है कि 14 अगस्त 1988 को उच्च न्यायालय ने प्लाट 586, जो विवादित ढांचा से सटा हुआ था, को गैर–विवादास्पद बताया और 17 अगस्त को उस फैसले के बाद भी तत्कालीन गृहमंत्री बूटासिंह और विहिप नेता विनय कटियार में लिखित समझौता हुआ। 7 नवम्बर को उच्च न्यायालय ने दोबारा वही फैसला किया (किंतु नवंबर में कारसेवा हुई)।

अगले दिन अयोध्या के जुड़वा नगर फैजाबाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसदीय आम चुनाव में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत की और 'राम राज्य' की स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित किया। किंतु लिब्राहन कमीशन ने बूटासिंह, राजीव गांधी और पी.वी. नरसिंह राव के नाम आरोपियों में नहीं जोड़े हैं।

एक और मजेदार मामला है कि आयोग ने दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को तरह–तरह की संज्ञाओं से तो नवाजा है, लेकिन किसी के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह कैसी जांच? रिपोर्ट को अगर दो पंक्तियों में समझना हो तो यह है कि किसी भी सूरत में राजनीति और धर्म को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा करने वालों के लिए बड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

पूरी रिपोर्ट में आयोग ने कुछ राजनीतिक दलों को संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों को साधने का मौका ही दिया है, न कि तथ्यपरक जांच की है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आयोग की रपट में तथ्य कम है और राजनीतिक बयानबाजी अधिक है।

'लिब्राहन कमीशन' की रिपोर्ट के पीछे सरकार की जो मंशा रही थी, वह कितनी पूरी हुई वह सरकार जाने। एक सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि समय और पैसे बरबादी की ऐसी मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। इतना सब करने के बाद भी क्या हुआ? रिपोर्ट 'ले' से पहले 'लीक' हुई और रिपोर्ट के प्रति सारी गम्भीरता समाप्त हो गई। स्थिति इससे बुरी क्या हो सकती है कि 17 वर्ष, 400 बैठकें, 48 बार समय बढ़ाए जाने और 8 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट ने एक नए विवाद देने के बजाए और कुछ नहीं दिया? ■

अयोध्या में मंदिर था, है और रहेगा : राजनाथ सिंह

लोकसभा में लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर बहस के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सत्य से परे है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में ढांचा गिराने के लिए षड्यंत्र की बात कही गई है, लेकिन पुलिस की गोलियों का शिकार हुए कारसेवकों का जिक्र नहीं है। हम यहां लोकसभा में 7 दिसम्बर, 2009 को श्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य बिंदू प्रकाशित कर रहे हैं:–

- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा को प्रारंभ करने के लिए प्रतिपक्ष की तरफ से मैं अपना प्रतिवेदन प्रारंभ कर रहा हूं।
- 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद यह रिपोर्ट आज सदन के पटल पर है। इस रिपोर्ट में अनेक आपत्तिजनक एवं आधारहीन बातें हैं। भगवान राम को वनवास काटकर सत्य और धर्म को स्थापित करके पुनः राज्य प्राप्त करने में तो 14 वर्ष लगे थे परन्तु उससे भी लंबा समय व्यतीत करके सरकार की यह रिपोर्ट सत्य के आस–पास भी नहीं पहुंच पा रही है। उल्टे, सत्य को कैसे इन 17 वर्षों में विकृत करने का प्रयास किया गया उसके अनेक प्रमाण इस रिपोर्ट में मौजूद हैं।
- सर्वप्रथम तो मैं बाबरी मस्जिद शब्द पर अपनी आपत्ति व्यक्त करता हूं। वैधानिक भाषा (Legal Language) में इस स्थल को राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद परिसर (Ram Janambhoomi-Babri Mosque Complex) कहा जाता है। माननीय न्यायालय ने भी उसे विवादित ढांचा ही कहा है। परन्तु लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 383 के पैरा नं. 63.6 की अंतिम पंक्ति में विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद बताया गया है। उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 494 के पैरा नं. 74.1,2 की सातवीं पंक्ति में भी विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहा गया है। सरकार के द्वारा भी और मीडिया में अनेक स्थानों पर इस आयोग की रिपोर्ट को बाबरी मस्जिद विध्वंस पर आई हुई रिपोर्ट कहा जाता है। यह वैधानिक दृष्टि से गलत है, ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है और सामाजिक दृष्टि से भी गलत है। विवादित ढांचे के गिरने को बाबरी मस्जिद विध्वंस कहने से साम्प्रदायिक भावनाओं की संवेदना पर प्रतिकूल असर पड़ता है अतः सरकार को इसका प्रयोग बंद करना चाहिए।
- यदि कोई उसे इतिहास में पीछे जाकर बाबरी मस्जिद कहना ही चाहे तो अपने ऐसे मित्रों के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इतिहास में पीछे जाने की दूरी आप अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते। यदि इतिहास में पीछे जायेंगे तो फिर यह मूलतः बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मस्थान है। वर्ष 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में उस स्थल के नीचे प्राप्त हुए मंदिर के अवशेष मेरी इस बात को प्रमाणित करते हैं।
- महोदय, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतनी ही गलती नहीं है। इसमें इतनी भारी गलतियां हैं कि इससे रिपोर्ट बनाने में तथ्यों के प्रति घोर लापरवाही और उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए जहां इस आन्दोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों का जिक्र है वहां पृष्ठ संख्या 270 पैरा 46.8 में एक व्यक्ति का नाम लिखा है Additional DGP Intellegence. यह बिना नाम का ADG कौन था या पूरा का पूरा ADG Intellegence का कार्यालय कार सेवा में शामिल था। पृष्ठ संख्या 279 पैरा 47.5 में लिखा है Leaders of Muslims. ये कौन से नेता थे। रिपोर्ट के पेज 120–121 के पैरा 29.24 में लिखा है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट अनुसूचित जाति को आरक्षण देने के लिए आई थी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले को पृष्ठ संख्या 958 में शिवसेना का दिखाया गया है। कहीं–कहीं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनैतिक दल के रूप में इंगित किया गया है। रिपोर्ट के पेज 273 पैरा–46.47 में कांग्रेस के सांसद श्री जगदम्बिका पाल का नाम भी कारसेवकों की सूची में है। मैं श्री जगदम्बिका पाल एवं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं कि क्या जगदम्बिकापाल कार सेवा में गये थे।
- तथ्यों के बारे में इतनी लापरवाही से लिखी गई रिपोर्ट अपने उद्देश्य में बिल्कुल स्पष्ट और सधे हुए तरह से

एक राजनैतिक एजेंडा के तहत लिखी हुई प्रतीत होती है। रिपोर्ट में पेज–362 पैरा –61.05 में लिखा है "A mad race designed to embaress the Congress party by BJP and other members of Sangh parivar" अर्थात यह आन्दोलन कांग्रेस पार्टी को समस्या में डालने के लिए था। यह राजनैतिक वक्तव्य हैं। वहीं रिपोर्ट के पेज–597 पर भारतीय जनता पार्टी पर पूरा एक अध्याय है और लिखा है कि "The failure of BJP as responsible political party". कोई राजनैतिक दल अपनी राजनैतिक भूमिका के निर्वहन में कितना परिपक्व और उत्तरदायित्वपूर्ण है इस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी घटना की जांच करने वाले आयोग का नहीं होता। विशेषकर जब वह राजनैतिक दल देश का प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो और 6 वर्ष तक देश का नेतृत्व कर चुका हो। कांग्रेस तथा भाजपा इन दोनों दलों पर आयोग द्वारा की गई टिप्णियों का अन्तर और उसका राजनैतिक लहजा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है।

- महोदय, लिब्राहन कमीशन के Term of reference में पेज 4 पैरा 2.1.1 में लिखा है To find out the sequence of events and all the facts and circumstances relating to the event of 6 December, 1992....."
- अध्यक्ष महोदय, लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया न होकर एक सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम थी और यह षड्यंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रचा गया और भाजपा इसमें शामिल थी। महोदय, मैं यह मानता हूं कि उस दिन अयोध्या में जो कुछ घटित हुआ वह जनाक्रोश की अनियंत्रित अभिव्यक्ति के कारण घटित हुआ न कि किसी व्यवस्थित योजना के कारण। हां 6 दिसम्बर 1992 को अनियंत्रित जनाक्रोश को उत्पन्न करने के लिए जो परिस्थितियां उत्तरदायी थीं, यदि उसका विश्लेषण करना हो तो वह विश्लेषण केवल कुछ महीनों का नहीं हो सकता बल्कि वह तो वर्षों, दशकों और शताब्दियों का Sequence of events है।
- 1528 में बाबर के सेनापति मीरबाकी द्वारा जहां मस्जिद बनायी गई वह स्थान भगवान राम से जुड़ा एक पवित्र स्थान था यह तथ्य तो ऐतिहासिक रूप से स्थापित है। अब्बुल फज़ल की आइने–अकबरी अयोध्या को राम का जन्मस्थान और अत्यंत पवित्र स्थल मानती है। 1816 में लिखी हुई नसीहत–ए–बिस्त–ओ–पंजम अज चहल निशाही बहादुशाही ने स्वयं औरंगजेब की पौत्री द्वारा जन्मभूमि के विध्वंस और वहां बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही गई। 1885 में लखनऊ से फारसी में प्रकाशित गुमश्तेः हालात –ए–अजोध्या अवध में मौलवी अब्दुल करीम ने भी यही लिखा है। और 1973 में लखनऊ के प्रतिष्ठित मुस्लिम धार्मिक विश्वविद्यालय नदवा–तुल–उलेमा के प्रमुख मौलाना अब्दुल हसन नदवी उर्फ अली मियां ने अपने पिता की अरबी में लिखी प्रसिद्ध पुस्तक "हिन्दुस्तान इस्लामी अहद मे" का उर्दू अनुवाद किया जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी 1977 में प्रकाशित हुआ, उसमें भी यह लिखा है कि जहां हिन्दुओं की मान्यता है उसी स्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवाई।
- अपने पश्चिमी इतिहासकार और यात्री जैसे विलियम फिंच, जोजेफ टीफैंथलर से लेकर 1854 के ईस्ट इंडिया कंपनी के गजट में इस बात का उल्लेख है कि वहां पर मस्जिद खड़ी कर देने के बाद भी निरन्तर हिन्दू तीर्थ यात्री आते थे और उसके बाहर भजन–कीर्तन करने के लिए संघर्ष होता रहता था। और मजे की बात यह है कि आर्कियोलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1934 में जब अयोध्या में प्राचीन स्थलों का अन्वेषण करना प्रारंभ किया तो उस बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि के रूप में लिखा गया और वहां पर चिह्न अंकित किया गया "Site No. 1 Janambhoomi".
- महोदय, इसलिए इस विवाद से जुड़ी हुई घटनाओं की श्रृंखला तो इतनी पुरानी है कि जब यह सरकारें और संसद भी नहीं थीं परन्तु लिब्राहन आयोग ने तो आजादी के बाद की घटनाओं का भी उल्लेख नहीं किया।
- इस परिसर में मुस्लिमों के लिए नमाज अदा करने पर कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं था। "There was no order to prohibit muslims to perform namaj, but no namaj was don since 1934".
- 1934 से वहां नमाज नहीं हो रही थी और 1949 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में मूर्तियों की स्थापना हुई और न्यायालय के आदेश से वहां पूजा अर्चना अनवरत आज तक चल रही है। 80 के दशक के मध्य में राम मंदिर आन्दोलन प्रारंभ होने तक के 35–40 वर्षों में सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास किया, क्या यह परिस्थिति की पृष्ठभूमि के लिए आवश्यक नहीं था? विशेषकर तब जब फरवरी 1986 में न्यायालय ने एक कदम और आगे जाकर जन्म भूमि का ताला खोलने का आदेश कर दिया। फिर नवम्बर 1989 में श्रीराम जन्मभूमि का शिलान्यास भी हुआ। फिर भी मन्दिर निर्माण के प्रयासों को सरकार द्वारा लगातार रोका गया।
- मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 1949 से जो पूजा हो रही थी

> ***मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि 1949 से जो पूजा हो रही थी वह मन्दिर में हो रही थी या वह मस्जिद में, जिसका ताला खुला और जिसका शिलान्यास हुआ। वह मन्दिर था या मस्जिद। महोदय न्यायालय के आदेश से चल रही पूजा अर्चना और ताला खुलने के बावजूद मन्दिर का लगातार विरोध करके हिन्दू समाज के न्यायसंगत और विधिसम्मत अधिकार के प्रति 40 वर्षों तक बरता गया उपेक्षा का व्यवहार मेरी दृष्टि में इस घटना की पृष्ठभूमि के लिए बहुत बड़ा कारण है।***

वह मन्दिर में हो रही थी या वह मस्जिद में, जिसका ताला खुला और जिसका शिलान्यास हुआ। वह मन्दिर था या मस्जिद। महोदय न्यायालय के आदेश से चल रही पूजा अर्चना और ताला खुलने के बावजूद मन्दिर का लगातार विरोध करके हिन्दू समाज के न्यायसंगत और विधिसम्मत अधिकार के प्रति 40 वर्षों तक बरता गया उपेक्षा का व्यवहार मेरी दृष्टि में इस घटना की पृष्ठभूमि के लिए बहुत बड़ा कारण है।

- आज कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि यदि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री होता तो ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1949 में मूर्ति स्थापित होने के समय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। और उ0प्र0 के मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पन्त थे। और 1989 में शिलान्यास के समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और उ0प्र0 के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। राव को दोष देनेवाली कांग्रेस सही है। या उसे निर्दोष कहने वाली रिपोर्ट?
- यदि आयोग ने 6 दिसम्बर 1992 की घटना की पृष्ठभूमि का पूरी तरह विश्लेषण किया होता तो शाहबानो केस का उल्लेख कैसे नहीं आता। याद कीजिये 1986 में शाहबानो केस में न्यायालय का निर्णय धार्मिक आधार पर बदल दिया जाता है और ठीक उसी समय हिन्दू समाज से यह कहा जाता है कि धार्मिक आधार, और वह भी कोई सामान्य धार्मिक आधार नहीं बल्कि अपने आराध्य भगवान की जन्मभूमि की मान्यता पर कोर्ट का निर्णय मान लो।
- इतना ही नहीं आयोग ने फिर 30 अक्तूबर और 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा कारसेवकों का जो नरसंहार किया गया और उसके बाद उपजे साम्प्रदायिक विद्वेष के वातावरण का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। जबकि विवादित ढांचा गिरने के बाद तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध निर्धारित करने के लिए गठित बाहरी ट्रिब्यूनल में पृष्ठ संख्या 72 पर सरकार के इंटेलीजेंस विभाग द्वारा यह माना गया है कि सितम्बर से दिसम्बर 1990 के मध्य देश में साम्प्रदायिक तनाव चरम पर था। ऐसे समय में श्री राजीव गांधी द्वारा मुलायम सिंह की सरकार का समर्थन एवं बाद में नरसिंह राव सरकार द्वारा इस गंभीर संवेदनशील मुद्दे पर टालमटोल ने परिस्थितियों को इन दो वर्षों में किस प्रकार प्रभावित किया। आश्चर्य है कि आयोग ने घटना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों में इसका जिक्र तक नहीं किया।
- आयोग ने घटना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के कई नेताओं द्वारा दिये गये अनेक भड़काऊ बयान जो कि सीधे तौर पर राष्ट्रविरोधी भी कहे जाते हैं उनका कोई कोई जिक्र नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय भी कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने गणतंत्र दिवस के बहिष्कार की धमकी दी थी तो एक अल्पसंख्यक नेता (आजम खान) ने यह कहा था कि "भारत माता एक डायन है जो हम सबको खा जाना चाहती है।"
- इन सबका क्या प्रभाव किसी भी समाज के मनोविज्ञान पर पड़ेगा अथवा पड़ा होगा इसका कोई भी विश्लेषण लिब्राहन आयोग ने अपनी 1100 पन्नों की पोथी में नहीं किया। किसी भी सामान्य व्यक्ति को यदि आप पहले चिढ़ायेंगे फिर आहत करेंगे, फिर न्याय में टाल–मटोल करेंगे और फिर यदि कोई अप्रत्याशित प्रतिक्रिया होती है तो उसे सुनियोजित षड्यंत्र कहेंगे। मेरा मानना है कि षड्यंत्र के रचियता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा नहीं बल्कि उपरोक्त कारनामों के कारण श्री राजीव गांधी और श्री नरसिंह राव की केन्द्र सरकार और श्री मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार माने जाने चाहिए जिनके चलते संपूर्ण भारतीय राजव्यवस्था कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी।
- परन्तु लिब्राहन आयोग ने तो 06 दिसम्बर 1992 से केवल कुछ माह पहले की ही अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र तक नहीं किया है।
- मई, 1991 में जब केन्द्र सरकार के द्वारा दोनों पक्षों के मध्य वार्ता से हल निकालने का प्रयास किया गया जिसका कि उल्लेख रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 126 पैरा 30.1 में है उसमें इस बात का उल्लेख ही नहीं है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से उपस्थित विद्वान सबूत दिए बिना ही चले गये और इसके बाद पेज–195 पैरा–40. 2 में लिखा है "No further time to given after 23rd October 1992 ". इसके बावजूद एक्सशन कमेटी के तरफ के विद्धान 1992 में अगली बैठक में लिखित सबूत लाना तो दूर बल्कि उपस्थित ही नहीं हुए। इस प्रकार बातचीत के माध्यम से समाधान के रास्ते स्वतः बंद हुए जिसके लिए संघ और विहिप नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ के विद्वानों का नजरिया अधिक बड़ा कारण रहा। महोदय, जब वार्ताएं विफल होती हैं तब प्रतिक्रियाओं के अनियंत्रित होने का भय उत्पन्न हो जाता है। घटना की पृष्ठभूमि के इतने महत्वपूर्ण पक्ष का उल्लेख न होना आयोग के पूर्वाग्रह का स्पष्ट प्रमाण है।
- आयोग ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह की यह कहते हुए आलोचना की कि वे कारसेवकों पर गोली चलाने के पक्ष में नहीं थे। रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 134 पैरा 30.2, 4 और पैरा 37.1, 6 में यह लिखा है कि पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने दिसम्बर 1991 फिर जुलाई 1992 में प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव से कारसेवकों पर बलप्रयोग करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि मुलायम सरकार द्वारा ऐसा करने पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। आश्चर्य है कि आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी ही नहीं की है कि दिसम्बर 1991 और जुलाई 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट मंतव्य के पता लग जाने के बाद भी केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की। रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 120 पैरा 29.30 में एक कमेटी का जिक्र है जिसमें शेखावत जी और शरद पवार तथा अन्य लोग शामिल थे। यह कमेटी कार्य क्यों नहीं कर पाई इसका कोई कारण रिपोर्ट में नहीं दिया।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सभी हिन्दूवादी संगठनों और विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को षड्यंत्र का दोषी

ठहराया है। महोदय, यदि किसी प्रकार के योजनाबद्ध षड्यंत्र का कोई प्रयास होता तो स्वयं आयोग ने पृष्ठ संख्या 154 पर लिखा है कि 1 अप्रैल, 1992 को रामनवमी के दिन अयोध्या में 7 लाख लोग एकत्रित थे और सब कुछ शांति से निपट गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जुलाई 1992 में जब कारसेवा की घोषणा हुई तो 6 दिसम्बर, 1992 को उपस्थिति कारसेवकों से कहीं बड़ी संख्या अयोध्या में उपस्थित थी। फिर भी सब कुछ शांति से निपट गया। वास्तविकता तो यह है कि इन महीनों में इस मुद्दे के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार और मजाक का जो भाव भाजपा छोड़ अधिकांश राजनैतिक दलों ने अपनाया उसकी प्रतिक्रिया ने अनियंत्रित होकर इस घटना को अंजाम दिया। यदि योजना होती तो इससे पहले की ये तिथियां इतनी शांति से कैसे गुजर जाती।

- आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संघ, भाजपा और कई अन्य हिन्दूवादी संगठनों और संत महात्माओं के लिए जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है वह स्पष्ट दर्शाता है कि आयोग एक स्वस्थ एवं निष्पक्ष विचार से नहीं बल्कि दोषारोपण की एक निश्चित मनोवृत्ति से काम कर रहा था। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगाः–
- रिपोर्ट के पेज 222 में कहा गया है कि News reports can not be said fale, even if, it may be an exaggerated version. यानी समाचार पत्रों का विवरण अतिरंजित होकर भी विश्वसनीय है। पेज संख्या 248 पैरा 43.3 8 में विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के बारे में कहा गया है। "They ostensibly told Kar Sevaks to construct the temple." यानी जो सीधे–सीधे कहा जा रहा था वह आयोग को दिखावे के लिए लग रहा था। पेज नंबर 250 पैरा संख्या 44.2 में प्रतीकात्मक कारसेवा का निर्णय आयोग को कागजी लगता है। रिपोर्ट में लिखा है–"A Sham paper decision of symbolic Kar Seva " रिपोर्ट के पेज 255 पैरा 56 में कारसेवकों से रूकने की अपील के विषय में लिखा है कि "Feeble reqeust for media benefit" यानी यह एक लचर अपील थी जो मीडिया में लाभ पाने के लिए की जा रही थी। रिपोर्ट के पेज 502 के पैरा 76. 8 में मंदिर निर्माण आन्दोलन से जुड़े हुए लोगों के लिए– " Little men with king sized egos" का विशेषण प्रयोग किया गया। जिन व्यक्तियों को लिटिल मैंन कहा है वे सब अयोध्या आन्दोलन से जुड़े अनेक गणमान्य और वरिष्ठ नेता थे। ऐसी टिप्पणी आयोग के अहंकार का प्रतीक है।
- वैसे आयोग को ऐसे अनुमान किन तथ्यों के आधार पर लग रहे थे इसका कोई उल्लेख नहीं। संभवतः आयोग को कोई इल्हाम या अंतप्रेरणा हो रही होगी।
- अत्यन्त महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य यह है कि आयोग ने कभी अयोध्या का दौरा किया ही नहीं। बगैर अयोध्या गये उन्हें सबकुछ इतना साफ–साफ समझ में आ गया। जैसे महाभारत में संजय अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठकर ही करूक्षेत्र का सारा वृत्तान्त सुना रहे थे। वैसे ही शायद लिब्राहन आयोग को भी कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जिसके द्वारा वे दिल्ली में बैठकर ही अयोध्या का वृत्तान्त अपने धृतराष्ट्र यानी सरकार को सुना रहे थे।
- वैसे यह प्रेरणा क्यों हो रही थी यह भी रिपोर्ट में ही इंगित हो जाता है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, डा0 मुरली मनोहर जोशी के लिए छद्म उदारवादी "Psudo moderate". जैसी राजनैतिक टिप्पणी आयोग द्वारा की गई है। जो नैतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से सरासर अनाधिकार चेष्टा है। रिपोर्ट में पेज 257 पैरा 44.6 में शब्द लिखा है "Charade by L.K. Advani" आगे रिपोर्ट में पेज 942 पैरा 16.6 में लिखा है कि "It cannot be assumed even for a moment that L.K. Advani, A.B. Vajpayee or M.M. Joshi did not know the designs of the Sangh Parivar". रिपोर्ट की इन पंक्तियों से ाफ है कि श्री एल.के. आडवाणी, डा0 मुरली मनोहर जोशी एवं सर्वमान्य श्री वाजपेयी जी के खिलाफ दोषारोपण का आधार तथ्य नहीं बल्कि सिर्फ assumption है।
- किसी भी जांच आयोग का काम inductive logic के आधार पर होना चाहिए अर्थात् सभी आंकड़ों और तथ्यों को एकजुट करके निष्कर्ष के द्वारा एक तस्वीर निकालने का प्रयास। परन्तु लिब्राहन रिपोर्ट ठीक इसके विपरीत deductive logic के सिद्धांत पर आधारित लगती है अर्थात् साक्ष्यों और तथ्यों को अलग–थलग करके एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना। कमीशन की रिपोर्ट के पेज 286 पैरा 50.6 में लिखा है कि "The enquiry demands an insightful analysis of the situation by weeding out the communal, institutional or other bias from the statements of the witnesses and by precluding the possibility of hindsight bias i.e. remembering the facts consistent with the desired conclusion". अतः स्पष्ट है कि लिब्राहन आयोग की कोशिश एक desired conclusion तक पहुंचने की थी ताकि अनेक हिन्दूवादी संगठनों को दोषी सिद्ध किया जा

अत्यन्त महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य यह है कि आयोग ने कभी अयोध्या का दौरा किया ही नहीं। बगैर अयोध्या गये उन्हें सबकुछ इतना साफ–साफ समझ में आ गया। जैसे महाभारत में संजय अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठकर ही करूक्षेत्र का सारा वृत्तान्त सुना रहे थे। वैसे ही शायद लिब्राहन आयोग को भी कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जिसके द्वारा वे दिल्ली में बैठकर ही अयोध्या का वृत्तान्त अपने धृतराष्ट्र यानी सरकार को सुना रहे थे।

सके। इसलिए यह रिपोर्ट एक जांच कम बल्कि चरित्र हनन का एक राजनैतिक दस्तावेज है। (Political document for character assassination).

- मैं इस रिपोर्ट को राजनैतिक दस्तावेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कानूनी मानदंडों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए बनाई गई है। रिपोर्ट के पेज 334 पर पैरा 57.4 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसलिए साम्प्रदायिक है क्योंकि इस संगठन का आग्रह हिन्दुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीतियों पर रहता है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में हिन्दुत्व को सम्प्रदाय नहीं बल्कि एक जीवनशैली कहा और उसके भी आगे 1996 में रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीनाथ कुंडे के चुनाव के लिए अयोग ठहराने की याचिका पर अपना निर्णय देते हुए 1996 के वल्यूम 1 पेज 162 पैरा 44 में लिखा है उसका अर्थ है "It is an error of law to assume Hindutva as communal" अतः संघ को केवल हिन्दुत्व की विचारधारा के आधार पर साम्प्रदायिक कहना राजनैतिक विद्वेष ही नहीं बल्कि कानून की अवहेलना का भी प्रतीक है। आश्चर्य है कि सरकार ने आयोग की संस्तुतियों के पैरा 1.16 में लिखा है कि "The matter will be examine further". यानी केन्द्र सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय के ठीक निर्णय के विपरीत इस विषय को आगे बढ़ाना चाहती है।
- महोदय, हिन्दू समाज एक सहिष्णु और उदार समाज है जिसने विश्व के ज्ञात इतिहास में कभी भी न तो किसी देश पर आक्रमण किया और न ही अन्य मतावलंबियों के धर्म परिवर्तन का प्रयास किया। Hinduism never went for invasion and never propagated conversion. शायद लिब्राहन आयोग हिन्दुत्व की इस मूल विचारधारा को ही समझ नहीं पा रहा था और इसलिए उसने सारे हिन्दुत्ववादी संगठनों को षड्यंत्र का दोषी ठहरा दिया।
- मुझे आश्चर्य ही नहीं वेदना भी है कि जिन 68 लोगों को विध्वंस का षड्यंत्रकारी माना गया है उसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के अतिरिक्त पूज्य देवराहा बाबा जैसे संत का नाम भी शामिल है जो ढांचा विध्वंस से करीब ढाई वर्ष पूर्व ही ब्रहमलीन हो गये थे। सारा राष्ट्र इस बात को जानता है कि पूज्य देवरहा बाबा भारत के एक महान एवं श्रद्धेय सन्त थे।
- किसी भी राजनीतिक दल से देवराहा बाबा का कोई संबंध नहीं था। हां, उनके भक्तों में सबसे बड़ी संख्या कांग्रेस के अनेक आदरणीय नेताओं की है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने देवराहा बाबा के सम्मान में एक पत्र लिखा था जो आज भी भारत के नेशनल आर्काइव में उपलब्ध है। डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने कुंभ मेले में स्वयं पूज्य देवराहा बाबा की पूजा की थी। और उस पूजा में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश तत्कालीन राज्यपाल के.एम.मुंशी और मुख्यमंत्री रहे डा0 सम्पूर्णानन्द एवं चन्द्रभानु गुप्त भी उपस्थित थे। 1948 में तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन भी उनके दर्शन करने गये थे। पुरानी पुस्तकों में यह भी विवरण है कि 1911 में किंग जार्ज पंचम भी देवरहा बाबा के दर्शन करने गये थे। यदि उनके प्रधानमंत्रियों में निकटता के संबंध थे तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से। इंदिरा जी की अनन्य आस्था देवराहा बाबा में थी और उनके पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी भी 06 नवम्बर 1989 को चुनाव से पूर्व पूज्य देवरहा बाबा का आशीर्वाद लेने गये थे। उनके साथ तत्कालीन गृहमंत्री श्री बूटा सिंह, उ0प्र0 के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी एवं श्री नटवर सिंह भी साथ में गये थे। बाबा के साथ राजीव यह वार्ता 40 मिनट तक चली थी। इन दोनों के देवराहा बाबा के साथ चित्र आज भी समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पुराने संकलनों में उपलब्ध है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि स्व. श्री राजीव गांधी 1989 के चुनाव से पूर्व देवराहा बाबा से श्रीराम जन्मभूमि के शिलान्यास के मुद्दे पर मिलने गये थे कि नहीं? इतना ही नहीं 20 नवम्बर 1989 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथ मिश्र दो अन्य न्यायाधीशों के साथ उनसे मिलने गये। भारत इतने गणमान्य और आदरणीय नेताओं के श्रद्धा के केन्द्र रहे ऐसे पूज्य सन्त को षड्यन्त्रकारी सिद्ध करने का प्रयास निर्लज्जता और धृष्टता का ऐसा कृत्य हैं जिससे मुझे हार्दिक पीड़ा पहुंची है।
- वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब कांग्रेस की सरकार ने महात्मा गांधी के आदर्श राम के अस्तित्व को ही रामसेतु के मामले पर कोर्ट के हलफनामे में नकार दिया था तो इंदिरा जी समेत अपने अनेक आदरणीय नेताओं के पूज्य किसी संत को किसी आयोग की रिपोर्ट में वोट बैंक की बलिवेदी पर लांछित कर दिया जाय। तो आश्चर्य कैसा।
- गुजरात में सोमनाथ का मसला तो आजादी के तुरन्त बाद ही सुलझ गया पर उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का मसला आज तक उलझा हुआ है। शायद इसलिए कि सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में था सो चलपट सुलझ गया और अयोध्या नेहरू के प्रांत में थी सो आज तक मामला उलझा हुआ है। वैसे नेहरू की विरासत के पेंच में हम कश्मीर से लेकर चीन तक की समस्याओं को याद करते हैं पर राम जन्मभूमि के उलझाव को नजरन्दाज कर जाते हैं।
- लिब्राहन आयोग ने इस घटना का भी विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया कि 6 दिसंबर 1992 को कारसेवा होने की तिथि जुलाई 1992 में ही घोषित कर दी गई थी फिर भी सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित स्थल के चारों ओर की 67 एकड़ जमीन के तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण पर कोर्ट के निर्णय की तारीख 11 दिसम्बर 1992 निर्धारित हुई इसे 6 दिसम्बर से पहले कराने का कोई प्रयास सरकार द्वारा क्यों नहीं किया गया। हो सकता है कि यदि कोर्ट का निर्णय समय रहते आ जाता तो जनता के आक्रोश के उस उबाल को रोका जा सकता था।
- लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर और वैसे भी हमारे तमाम सेक्युलर साथी यह आरोप लगाते रहे हैं कि ढांचा विध्वंस के बाद के साम्प्रदायिक दंगे संघ परिवार

और भाजपा के कुछ नेताओं के भड़काऊ बयानों के कारण और भड़के। मैं पूछना चाहूंगा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने 6 दिसम्बर 1992 की रात 9.00 बजे दूरदर्शन पर यह कहा था कि वे (तथाकथित) बाबरी मस्जिद को पुनः उसी स्थल पर बनवायेंगे। और ऐसा ही बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह ने दिया था। इस बयान का देश में कैसा प्रभाव पड़ा होगा इसका विश्लेषण करने का कभी तथाकथित सेक्युलर नेताओं और बुद्धिजीवियों ने आवश्यकता समझी कि आजाद भारत कि एक सरकार बाबर के नाम की मस्जिद का पुनर्स्थापना करेगी, राम के मंदिर की नहीं। वैसे कुरान के मुताबिक किसी गैर मुस्लमान को मस्जिद बनवाने का हक नहीं है।

सरकार द्वारा बाबरी ढांचा गिरने के 6 महीने बाद ही न्यायाधिकरण द्वारा हो चुके एक निर्णय को 17 साल बाद एक आयोग के द्वारा गलत ठहराने का प्रयास गंभीर संवैधानिक विषय है जिस पर इस सदन को विचार करना चाहिए। ढांचा गिरने के समय भारत के गृह मंत्री श्री शंकरराव चव्हाण ने भी स्पष्ट रूप से किसी षड्यंत्र की संभावना से इंकार किया था।

- महोदय, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। 6 दिसम्बर 1992 के समय मैं तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री था। और 1990 में अयोध्या कारसेवा के समय मैं युवा मोर्चा के नेता के रूप में कारसेवकों के जत्थे के साथ अयोध्या भी गया था। इसलिए मैंने यह स्वयं अनुभव किया है कि यह आन्दोलन किस प्रकार की भावनाओं से स्पंदित था। 30 अक्तूबर 1990 को घोषित कारसेवा को रोकने के लिए जब तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने कड़े कदम उठाने के प्रयास किये तो उसकी प्रतिक्रिया में जनभावनाओं का ऐसा ज्वार उठा कि सरकार को मजबूर होकर 29 और 30 अक्तूबर 1990 को अयोध्या और फैजाबाद ही नहीं बल्कि लखनऊ आने और जाने वाली सारी ट्रेनों को रद्द करनी पड़ी। 30 अक्तूबर 1990 को केवल सरकारी टेलीफोन लाइनों को छोड़कर लखनऊ की सभी एस.टी.डी. लाईनें बंद कर दी गई। पूरे प्रदेश में गिरफ्तारियों के जो सरकारी आंकड़े हैं वे 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में उत्तर प्रदेश में हुई गिरतारियों के सरकारी आंकड़ों से चार या पांच गुना अधिक है। उल्लेखनीय है कि 1942 से 1992 के बीच भारत की जनसंख्या चार पांच गुना नहीं बल्कि दोगुना हुई थी। नवंबर 1990 में बी.बी.सी. रेडियो ने अपने विश्लेषण में यह बात कही थी कि तुलनात्मक दृष्टि से राम जन्मभूमि आन्दोलन में जनता की सहभागिता 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन से कई गुना अधिक थी। परन्तु दुख है कि लिब्राहन आयोग को जनभावनाओं की यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति दिखाई नहीं पड़ी और उसे इसमें षड्यंत्र दिखाई पड़ा।
- मैं मांग करता हूं कि सरकार श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलन के विभिन्न चरणों के समय उत्तर प्रदेश में दी गई गिरफ्तारियों की संख्या और अब तक के उत्तर प्रदेश में हुई सभी आन्दोलन की गिरफ्तारियों का एक तुलनात्मक चार्ट सदन के पटल पर रखे तो यह साफ हो जायेगा कि यह आन्दोलन एक जनान्दोलन था या एक षड्यंत्र।
- लिब्राहन आयोग कहता है कि भाजपा के नेताओं ने और विशेषकर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने न्यायालय को वचन दिया था कि वे ढांचे को यथावत रखेंगे। फिर भी ढांचा टूट गया। इसलिए भाजपा और उसके नेता दोषी हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 1945 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में देश की जनता को यह वचन दिया था कि वे देश को टूटने नहीं देंगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का विभाजन नहीं होगा। फिर भी देश टूट गया। जो लोग राष्ट्र की जनता को राष्ट्रपिता का दिया हुआ वचन की लाज नहीं रख पाये और जिसके चलते कम से कम 10 लाख लोग मारे गये और दो से ढाई करोड़ बेघरबार हुए वे इतना सब होने के बावजूद अपने को कभी दोषी नहीं माना, उनके चेहरे कभी शर्म से लाल नहीं हुए बल्कि उल्टे अपने को नियति के साथ राष्ट्र के मिलन की रचना "Tryst with destiny ". का नायक मानते हैं वे आज हमें हमारे पुरजोर प्रयासों के बावजूद जनाक्रोश के चलते गुलामी के काल का एक ढांचा टूट जाने पर हमें दोषी और षड्यंत्रकारी कह रहे हैं।
- अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत की जनता के सम्मान और स्नेह के केन्द्र आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम जिस गैर कानूनी तरीके से डाला गया है वह इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता और सरकार की मंशा दोनों को कटघरे में खड़ा करता है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के प्रावधान 8–बी के तहत जिस व्यक्ति का आयोग से पूछताछ की प्रक्रिया में कोई संबंध न रहा हो उस व्यक्ति का नाम रिपोर्ट में मनमाने तरीके से डालना गलत हैं। और इतना ही नहीं उन पर छद्म उदारवादी जैसी राजनैतिक टिप्पणी करना आयोग की स्वतंत्रता नहीं स्वछंदता है और अनाधिकार चेष्टा है। महोदय, स्वतंत्रता के पूर्व लगभग 30–40 वर्षों तक यदि भारत की राजनीति में महात्मा गांधी ने एक स्थायी और सम्माजनक स्थान भारत की जनता और भारत के राजनैतिक पटल पर बना कर रखा तो आजादी के बाद इतने लंबे समय तक देश की जनता और देश के राजनैतिक पटल पर स्थायी सम्माजनक स्थान प्राप्त करने वाले वे नेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं।
- जिस अटल बिहारी वाजपेयी में नेहरू को भविष्य की ज्योति और नरसिंह राव को अपना राजनैतिक गुरू दिख रहा हो ऐसे अटल जी में लिब्राहन आयोग को एक छद्म उदारवादी और षड्यंत्रकारी दिखा तो ऐसे बुद्धिजीवियों की बुद्धि की मैं बलिहारी देता हूं और इस सदन के माध्यम से देश की जनता का विचार भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी बात करने वालों की सोच बीमार नहीं है।

- लिब्राहन आयोग ने बड़े दावे के साथ ढांचा गिराने में जिस षड़यंत्र की बात की है मैं उसके संदर्भ में याद दिलाना चाहूंगा कि ढांचे टूटने के बाद 10 दिसम्बर, 1992 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया गया था और बाहरी ट्रिब्युनल द्वारा जून 1993 में संघ एवं बजरंग दल पर प्रतिबंध अवैध ठहराया गया। बाहरी ट्रिब्युनल का निर्णय 4 जून 1993 को आया और 18 जून को प्रकाशित ट्रिब्युनल की गजेटेड (राजपत्रित) रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 71 में कहा गया है "It is pertinent to mention that PW 7 (who was Joint Director I.B. representing government's view) has categorically admitted that there was not material evidence to show that these organisations (RSS, VHP and Bajrang Dal) had preplaned the destruction of disputed structure." बाहरी ट्रिब्युनल का निर्णय कोई प्रेक्षण या आबजरवेशन नहीं है बल्कि यह एक वैधानिक आदेश या जुडिशियल वरडिक्ट है। आश्चर्य है कि स्वयं न्यायाधीश होकर भी जस्टिस लिब्राहन इसी संदर्भ में गठित हुए ट्रिब्युनल के निर्णय के ठीक विपरीत मंतव्य देते हैं और उसका उल्लेख तक करना उचित नहीं समझते हैं।
- सरकार द्वारा बाबरी ढांचा गिरने के 6 महीने बाद ही न्यायाधिकरण द्वारा हो चुके एक निर्णय को 17 साल बाद एक आयोग के द्वारा गलत ठहराने का प्रयास गंभीर संवैधानिक विषय है जिस पर इस सदन को विचार करना चाहिए।
- ढांचा गिरने के समय भारत के गृह मंत्री श्री शंकरराव चव्हाण ने भी स्पष्ट रूप से किसी षड्यंत्र की संभावना से इंकार किया था। मैं 3 जनवरी, 1993 के अंग्रेजी दैनिक पॉयनियर को उद्धृत करना चाहूंगा। "Pioneer 3rd January, 1993 " Union Home Minister S.B. Chavan sprang surprise on Friday when he stated that demolition was not pre-planed. He said intellegence agencies have not given any linking of what was to happen on 6th December, 1992. When asked by journalists that P.V. Narsingrao said it was planned, he reacted sharply and said that the Prime Minister has actually expressed only apprehension."
- मजे की बात यह है कि लिब्राहन आयोग भी रिपोर्ट के पेज 248 के पैरा 43.39 में लिखता है कि कारसेवक आक्रोशित और आक्रामक मनोदशा में थे। इसके आगे पेज 253 पैरा 44.12 में लिखता है "Some defiant Kar Sevaks pushed Shri L.K. Advani, Murli Manohar Joshi and Vinay Katiyar and captured the platform of Kar Seva and they were finally taken out by Swyamsevak of RSS" यानी स्पष्ट है कि संघ और भाजपा का नेतृतव कारसेवकों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। फिर भी आयोग को अंतःप्रेरणा हुई कि कारसेवकों को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा था।
- मैं केन्द्र सरकार से पूछना चाहूंगा कि श्रीराम जन्मभूमि के विषय को मुद्दा बनाकर भाजपा व संघ परिवार को आरोपित करने के लिए तो आपने बरसों बरस करोड़ों रूपए खर्च किए पर समस्या के समाधान के लिए क्या किया? पिछले पांच वर्ष के अपने कार्यकाल में 5 मिनट भी इस समस्या के समाधान के लिए नहीं निकाले।
- उल्टे ऐसे अनेक काम किए जो सीधे तौर पर साम्प्रदायिक विभेद के कारक बनते हैं। देश के संसाधनों पर प्रधानमंत्री ने मुस्लिमों का पहला हक बताया, शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यकों के आरक्षण का प्रयास हुआ, नौकरी में आरक्षण का प्रयास हुआ, बैंकों में एक प्रकार का आरक्षण किया गया। भले ही यह सिर्फ प्रयास किसी दल को चुनावी लाभ दे सके। यह सब एक बार पुनः राज्य व्यवस्था को साम्प्रदायिक कट्टरवादी शक्तियों के आगे केवल तात्कालिक राजनैतिक हित के लिए झुकाने का उसी तरह का एक खतरनाक प्रयास है जिसने धीरे–धीरे उस हालात और आक्रोश को जन्म दिया था। जिससे सन् 1947 में देश टूट गया। 1992 में ढांचा टूट गया और आगे न जाने और क्या अनहोनी हो जाय। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वे इतिहास से सबक ले और चुनावी लाभ हानि से परे जाकर एक स्वस्थ पंथ निरपेक्ष व्यवस्था को सुदृढ़ करें।
- महोदय, मैंने आयोग की रिपोर्ट के बारे में जो कुछ कहा है यदि उसे एक पंक्ति में सारांश रूप से कहना चाहूं तो यह रिपोर्ट पूर्णतः निराधार, पक्षपाती, पूर्वाग्रहग्रस्त और कुछ विशिष्ट लोगों को उचित ठहराने और कुछ को दोषी ठहराने के की योजना का एक अंग है। (The report is totally baseless, biased, pre-judice and meticulously designed to target some persons and ogranisations)
- महोदय वैसे तो विवादित ढांचा गिराये जाने जैसी घटनाओं की तथ्यपरक जांच एक चीज है और इस घटना का सामाजिक या राजनैतिक उपयोग करने का विचार सर्वथा गलत है क्योंकि इन घटनाओं का संबंध देश काल और परिस्थितियों में बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ होता है। अतः किसी एक घटना विशेष की जांच की तकनीकी औपचारिकताएं कभी वास्तविक समाधान को इंगित नहीं कर सकती।
- यह एक औपनिवेशक मनोवृति "Colonial mindset". की विरासत है जिसे हम आज भी जी रहे हैं। यह रिपोर्ट उसी मनोवृति को परिलक्षित करती है जिस मनोवृति के चलते –

  ढांचे के विध्वंस का कारण दशकों की गतिविधि में नहीं घंटों की गतिविधि में खोजने का प्रयास किया जाता है।

  भगवान राम की जन्मभूमि के विवाद को एक राजस्व भूमि विवाद की तरह मानकर समाधान निकालने का प्रयास होता है

  राम उसी जगह पैदा हुए इसे भौतिक आधार पर सिद्ध करने का आग्रह किया जाता है।

  रामसेतु के संदर्भ में यह व्यंग्य किया जाता है कि नल और नील ने कौन से इंजीनियरिंग कालेज से डिग्री ली थी एवं राम का अस्तित्व ही नकारा जाता है।
- यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम संविधान के

'सेक्युलर' शब्द से इतने भ्रमित हैं कि हम धर्म को भी सेक्युलरिज्म के खिलाफ मान लेते हैं। राष्ट्र की संस्कृति और हमारे मूल नैतिक आधार तथा क्षुद्र साम्प्रदायिकता में विभेद नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने यह मांग की थी कि सेक्युलरिज्म के संदर्भ में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाय और पंथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाय ताकि राष्ट्र–धर्म और किसी मत या सम्प्रदाय का अंतर स्पष्ट रहे। और कभी कोई भ्रम न उत्पन्न कर सके।

- जिस प्रकार न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि हिन्दुत्व शब्द साम्प्रदायिक नहीं है उसी प्रकार मैं यह मांग करता हूं कि इस विषय पर भी इस सदन को एक बहस करनी चाहिए कि राम क्या किसी सम्प्रदाय के प्रतीक हैं या भारत के सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं।
- भारत के संविधान में जिन 10–12 चित्रों का उल्लेख है उसमें एक भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के चित्र भी अंकित है।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व व कृतित्व में राम का प्रभाव दिखता था। उनकी राजनैतिक दृष्टि थी राम राज्य, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि थी "रघुपति राघव राजा राम" और उनकी अंतिम अभिव्यक्ति थी "हे राम"।
- गांधी ने कुछ भी नया नहीं किया था। भारत के तमाम मनीषी विद्वान और भक्त इस राष्ट्र को राम से ही जोड़ते रहे हैं। कबीर ने कहा –"राम नाम के पट तरे, देबै को कछु नाहिं"। मीरा ने कहा –"पायो जी मैने, रामरतन धन पायो" रैदास ने कहा–"राम नाम हृदय न धरा, जैसे पसुआ तैसे नरा" और इतना ही नहीं अल्लामा इकबाल ने लिखा–
  "है राम के वजूद पे, हिन्दोस्तां को नाज़। अहले–नजर समझती है उनको इमाम– ए– हिन्द"।
- विश्व में बाइबिल के बाद संभवतः रामकथा ही ऐसा ग्रंथ है जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इंडोनेशिया में आज भी रामलीला होती है, कम्बोडिया, लाओस में आज भी रामकथा के साहित्यिक अवशेष हैं। यहां तक कि थाईलैंड के राजा आज भी अपने नाम के साथ किंग राम टाइटिल लगाते हैं। कोरिया का राजपरिवार अपनी जड़े अयोध्या में खोजता है। श्रीलंका की सरकार ने भी पिछले वर्ष ही रामकथा को पूरी तरह ऐतिहासिक माना था और अपने यहां रामकथा से जुड़े सभी स्थलों की एक सीडी जारी की थी।
- अतः राम भारत के संविधान में चिह्नित हैं, राष्ट्रपिता की विचारधारा में इंगित हैं, शताब्दियों से संतों की भावनाओं में स्पंदित हैं और देश–देशांतर तक भारत के प्रतीक के रूप में विस्तारित हैं तो फिर भारत की संसद उन्हें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र पुरूष क्यों नहीं मान सकती ताकि भविष्य में ये समस्याएं भी समाप्त हो जायं।

मैं मांग करता हूं कि सरकार श्रीराम जन्मभूमि आन्दोलन के विभिन्न चरणों के समय उत्तर प्रदेश में दी गई गिरफ्तारियों की संख्या और अब तक के उत्तर प्रदेश में हुई सभी आन्दोलन की गिरफ्तारियों का एक तुलनात्मक चार्ट सदन के पटल पर रखे तो यह साफ हो जायेगा कि यह आन्दोलन एक जनान्दोलन था या एक षड्यंत्र।

- मगर हमारे देश में हवाएं कुछ और चली। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बाबर की कब्र अफगानिस्तान में है पर वहां पर उसे कोई श्रद्धा का स्थान प्राप्त नहीं है क्योंकि अफगान कहते हैं कि वह तो समरकंद का था। फिर भारत में बाबर को लेकर और वह भी राम के विरूद्ध संघर्ष क्यों खड़ा किया जा रहा है। इसका जवाब भारत की राजनीति के पुरोधाओं को ही देना होगा।
- जबाव अगर हम नहीं देंगे तो आने वाला वक्त दे देगा। सदन के कई विद्वान सदस्य शायद यह जानते हो कि इतिहास के संदर्भ में जैनिटिक इंजीनियरिंग के उपयोग के नये शोधों के अनुसार भारत में आर्यों के बाहर से आने का सिद्धान्त संकट में पड़ता जा रहा है। क्योंकि डी.एन.ए. आधारित शोधों के अनुसार सभी भारतीयों के डी.एन.ए. चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान या किसी भी जाति के, मोटे तौर पर एक जैनिटिक पूल के पाये जा रहे है। और मजे की बात यह है इसका सेंट्रल एशियन जैनिटिक पूल से कोई संबंध स्थापित नही हो पा रहा है। बाबर का जन्म स्थान समरकन्द सेंट्रल एशिया में है। यानि आने वाले समय में विज्ञान यह साफ कर देगा, कि हम सब हिन्दू हो या मुसलमान एक ही पूर्वजों की सन्तान है। और वो पूर्वज भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध और नानक हैं। और बाबर से हमारे पूर्वजों का कोई सम्बन्ध नहीं था।
- अपने पूर्वजों के खिलाफ भारत मा की सन्तानों के एक वर्ग को खड़ा करने की सियासत विज्ञान कसौटी पर भविष्य में दम तोड़ देगी। और भारत के सभी समुदाय मिलकर अपने राष्ट्र पुरूष मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान राम का भव्य मन्दिर निर्माण पूरा करेंगे।
- ऐसा क्यों हो गया कि हम भारत में भारतीयता के विरूद्ध खड़े हो जाते हैं शायद इसलिए कि भारत के संविधान में यह लिखा है We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. इसे पढ़कर किसी को यह भ्रम हो सकता है कि भारत का गठन 1947 में हुआ। महोदय, यह राष्ट्र सनातन हैं, चिर पुरातन है फिर भी नित्य नूतन है। भारत इस संविधान और इस व्यवस्था से बहुत पहले का है और वही सनातन तत्व इस राष्ट्र को स्पंदित और संचालित करते हैं।
- महोदय, आपके अध्यक्षीय आसन के पीछे लिखा है –"धर्मचक्र प्रवर्तनाय", सर्वोच्च न्यायालय के चिह्न में लिखा है –"यतो धर्मस्ततो जयः" भारत के राष्ट्रीय चिह्न के नीचे लिखा है– "सत्यमेव जयते"। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र अशोक के अभिलेखों में धम्मचक्र के रूप में उल्लिखित है। भारतीय राज्य व्यवस्था के ये सभी संकेत 1947 के बाद के नहीं, उस सनातन राष्ट्र की अभिव्यक्ति के हैं जिसने सारे विश्व को सदैव ज्ञान और

गुजरात ने बनाया विकास का माहौल : डा. कलाम

ख्यर वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा कि 21वीं शताब्दी के ज्ञानयुग के प्रथम दशक में गुजरात ने विकास का माहौल बनाया है। उन्होंने सामाजिक–आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए 'गुजरात विजन : 2020 वर्ष को साकार करने का प्रशासन का आह्वान किया है। डा. कलाम राज्य सरकार की ओर से यहां कच्छ के रण में आयोजित चिंतन शिविर में अतिथि के रूप में सम्बोधन कर रहे थे।

डा. कलाम ने कहा कि अधिकारियों को जनता की आकांक्षा और सपने साकार करने का महान अवसर मिला है। गुजरात में विकास की विपुल संभावना है और प्रशासन में क्षमता भी अपार है। गुजरात विजन को वास्तविक रूप में साकार करने के लिए विकास का माहौल भी बना हुआ है। डा. कलाम ने नॉलेज सोसायटी की परिकल्पना को साकार करने के साथ सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुरा प्रोजेक्ट यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया (पुरा) प्रोजेक्ट को मिशन के रूप में अपनाने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर डा. कलाम ने गुजरात पुरा मिशन अर्बन प्रोजेक्ट की मोदी की कल्पना को साकार करने के लिए अधिकारियों के साथ दिलचस्प सवाल–जवाब भी किए।

उन्होंने सौर ऊर्जा मिशन, ग्रीन एनर्जी जैसे पर्यावरण संवर्द्धन से जुड़ी राज्य सरकार की विभिन्न पहलों का भी स्वागत किया।

एक साल में पूरे करने होंगे 'स्वर्णिम लक्ष्य'

गुजरात की स्वर्ण जयंती पर प्रशासनिक अधिकारियों को 50 सूत्री कार्यक्रम आवंटित किए गए हैं। अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए सभी स्वर्णिम लक्ष्य 1 जनवरी, 2011 तक पूरे करने होंगे। इतना ही नहीं, सभी सरकारी और सार्वजनिक भवनों की सूरत और रौनक बदलनी होगी और यह काम आगामी 1 जनवरी से पहले यानी इस माह के अंत तक पूरा करना होगा। राज्य सरकार की ओर से यहां चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में राज्य प्रशासन को त्रिस्तरीय लक्ष्यों को साकार करने के स्पष्ट आदेश जारी किए।

चिंतन शिविर में दूसरे दिन प्रारंभिक सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को उसके विभाग–कार्यक्षेत्र के लिए 1 जनवरी, 2010 से 1 जनवरी, 2011 तक एक वर्ष के लिए दिए गए सभी लक्ष्य पूरे करने होंगे। स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विकास को सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाई पर ले जाकर जनता को समस्याओं से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए 50 सूत्री कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से साकार करना होगा। प्रत्येक विभाग के सचिव और जिला अधिकारी को इस कार्यक्रम का निर्णायक नेतृत्व करना होगा तथा जनभागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। इसी प्रकार आगामी 1 जनवरी तक यानी इस माह के अंत तक सभी सरकारी और सार्वजनिक भवनों की रौनक बदलने तथा कार्य संस्कृति में नई चेतना लाने के लिए माहौल तैयार करना होगा। उन्होंने एक वर्ष में सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रस्ताव, बजट प्रावधानों का पूर्वायोजन सम्पन्न करने की भी ताकीद की।

श्री मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि 1 जनवरी, 2011 के दिन जनता को यह अनुभूति हो कि गुजरात ने स्वर्ण जयंती वर्ष में सभी जनहित के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। इस अवसर पर प्रधान योजना सचिव वरूण मायरा ने 50 सूत्री कार्यक्रम की प्रस्तुति की। योजना राज्य मंत्री सौरभ पटेल ने 50 सूत्री कार्यक्रम के दृढ़ क्रियान्वयन पर जोर दिया। मुख्य सचिव डी. राजगोपालन, अन्य वरिष्ठ सचिवों तथा जिला प्रमुखों ने भी सुझाव दिए। ■

अध्यात्म की नई दृष्टि दी। जहां सम्राट केवल युद्ध के लिए संघर्ष ही नहीं करते थे बल्कि राम की तरह मर्यादा पालन के लिए वनवास जाने के लिए तैयार रहते थे। ये ऐसे मूल्य हैं महोदय जिन्हें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तकनीकी जटिलताओं से परे जाकर राष्ट्र के प्रेरक मान बिन्दुओं के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

- विश्व के अन्य देश जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, उन्होंने अपने संविधान में इसे गर्व के साथ स्वीकार किया है। मैं, मिश्र के संविधान का प्रथम वाक्य मैं उद्धृत करना चाहूंगा &"Egyptian Constitution begins with the sentence -" We the people of Egypt, who have been toiling on this great land since the dawn of history and the beginning of civilization"
- अतः विश्व की एक श्रेष्ठतम सभ्यता के उत्तराधिकारी के रूप में हम सब एक न्यूनतम आम सहमति बनायें ताकि राष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव और साम्प्रदायिक संघर्ष को अलग रखते हुए एक आत्मसम्मान से युक्त गौरवशाली राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस हेतु श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर का निर्माण धार्मिक या सांस्कृतिक न्याय नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के प्रति राष्ट्रीय न्याय या National Justice का प्रतीक है। ■

यह रिपोर्ट साम्प्रदायिक दुर्भावना का दस्तावेज है, हम इसे खारिज करते हैं : सुषमा स्वराज

भाजपा की वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में विपक्ष की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का पूरा पाठ :–

पहले दौर में हमारी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारा दृष्टिकोण सदन में प्रस्तुत किया था। मैं उनकी बातों से स्वयं को सम्बद्ध करते हुए उन्हें नहीं दोहराऊंगी। केवल उनके द्वारा अनछुए पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगी। 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में यह विवादित ढ़ांचा गिरा, यह एक हकीकत है। यह एक जगज़ाहिरा हकीकत है। लेकिन क्या यह ढ़ांचा एक साजिश के तहत गिराया गया था? क्या यह ढ़ांचा गिराने के लिए कोई षड्यंत्र रचा गया था या कोई पूर्व योजना बनी थी?

वहां डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि इसे विवादित ढ़ांचा कहा जाए या इसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर कहा जाए, नहीं तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाए, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और बार–बार लिब्रहान आयोग ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया है। मैं अभी केवल इतना कह रही थी कि इन बातों की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। मैडम, 16 दिसम्बर 1992 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और अधिसूचना में 5 काम उन्हें सौंपे गये जो बहुत साथियों ने बताए, मैं उन्हें पढ़ूंगी नहीं लेकिन तीन महीने का समय इस आयोग को दिया गया था। इस अधिसूचना की प्रति मेरे पास है। "The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than three months." कानूनी भाषा में इसे मेंडेटरी कहते हैं, यहां चिदम्बरम जी बैठे हैं। भाषा यह भी हो सकती थी कि "The Commission will submit its report within three months." अगर यह कहा गया था कि तीन महीने के भीतर दी जाए तो समयावधि बढ़ाने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन अगर भाषा यह बन जाए कि not later than three months. यानी किसी भी कीमत में तीन महीने से ज्यादा देर न की जाए और इसकी रिपोर्ट दे दी जाए, यह मेंडेटरी होता है लेकिन तीन महीने की जगह 17 वर्ष लगे, 48 बार समयावधि बढ़ाई गई। दुर्भाग्य की बात है कि आज हम रिपोर्ट के बाद वहीं खड़े हैं जहां 6 दिसंबर, 1992 को खड़े थे।

यह तो सबको मालूम है कि ढांचा गिरा था लेकिन हम पहले दिन से कह रहे थे कि इसके लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया, कोई पूर्व योजना नहीं बनी। अगर सब इसके विपरीत था तो आयोग से यह अपेक्षा थी कि वह उस सत्य को उद्घाटित करे। आयोग से यह अपेक्षा थी कि सबूतों के साथ जनता के सामने सच्चाई पेश करे। यह काम करने के लिए आयोग को तीन तरफ से मदद मिल सकती थी– एक; सीबीआई की टीम जो जांच कर रही थी, तथ्य जुटा रही थी; दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार की खुफिया और गुप्तचर एजेंसियां जो जांच कर रही थी, जिनके पास खुफिया सूचनाएं होती हैं; तीसरा, वे मुस्लिम संगठन जो इसे कांस्पिरेसी बता रहे थे और कह रहे थे कि साजिश के तहत गिराया गया है। इन तीनों के बारे में लिब्रहान की रिपोर्ट में जो टिप्पणी की गई है, मैं आपको पढकर सुनाती हूं कि सीबीआई के बारे में लिब्रहान क्या कहते हैं – "A sincere endeavour has been made to lay the bare facts before the people. The team consisting of officers drawn from the CBI made an effort to find out the facts and collecting evidence in support of the facts but they have not come to any conclusion relating to them." यह सीबीआई के बारे में लिब्रहान की टिप्पणी है कि उन्होंने तथ्य जुटाने की बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की लेकिन कांस्पिरेसी का कोई भी तथ्य जुटा नहीं पाए। यह रिपोर्ट सीबीआई के बारे में है। अब इंटेलीजेंस एजेंसी की बात करते हैं। "Given the scope of the enquiry, the Commission was heavily dependant on the cooperation of the State Government, the Central Government and private individuals. The State and Central Intelligence Agencies were both over optimistic in their assessments and guilty of gross failure. Or in the alternative, they withheld the crucial records and analysis from the Commission. " वे जो कह रहे हैं कि उन्होंने विदहोल्ड किया, उनके पास कुछ था ही नहीं, तो वे देते क्या? इंटेलीजेंस एजेंसी के बारे में लिब्रहान का यह कहना है। अब मैं मुस्लिम संगठनों की बात कहती हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से युसूफ मुछैला एक एडवोकेट थे, जो लिब्रहान कमीशन को असिस्ट कर रहे थे। "Yusuf Muchela representing the Muslim Personal Law Board had cross-examined some key witnesses like L.K. Advani in part. No evidence was led or information provided to the Commission with respect to the conspiracy or the pre-

planning or the joint common enterprise by any of these counsels."

मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के गृह मंत्री एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं। चिदंबरम जी, कम से कम आप तो एविडेंस को एप्रिशिएट कर पाएंगे। आप मुझे बताइए कि तीनों चीजें, जो ये तथ्य जुटा सकती थीं, साक्ष्य ला सकती थीं, जो सबूत पेश कर सकती थीं लेकिन लिब्रहान कमीशन रिपोर्ट कहती है कि न सीबीआई तथ्य जुटा पाई, न इंटेलीजेंस एजेंसियां मदद कर पाई और न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हमारे सामने कोई सबूत पेश कर पाए कि यह कोई योजना थी, कोई षडयंत्र था या साजिश थी। लेकिन इन तीनों के बावजुद लिब्रहान रिपोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, मैं वह निष्कर्ष पढक़र सुनाना चाहती हूं – "The utilization of such huge monies is a categorical pointer to the planning and pre-planning carried out for the entire process of the movement commencing with mobilization onwards right uptill the very demolition itself." यह कैसा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है? कोई तथ्य नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं। चूंकि पैसा है, वे भी वे कह रहे हैं कि पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ और यह अपने आप में प्वाइंटर है कि प्रिप्लानिंग थी, कांस्पिरेसी थी, केवल मूवमेंट की नहीं बल्कि डिमालिशन की। मैंने प्राथमिक टिप्पणी की थी जिस समय यह रिपोर्ट आई थी – "That findings of this Report are perverse, ill-founded and against the evidence placed before the Commission." यानी इस रिपोर्ट के निष्कर्ष विकृत हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष निराधार हैं और उपलब्ध सबूतों के विपरीत हैं। मैंने यह पहला तर्क इस बात को पुष्ट करने के लिए रखा है और जो कि मेरी प्राथमिक टिप्पणी थी। मैंने तब तक पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, सरसरी पढ़ी थी। लेकिन जैसे मैं पन्ना दर पन्ना पढती गई वैसे मेरी धारणा पुष्ट होती गई। अपने उसी तर्क को पुष्ट करने के लिए दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। इस पूरी रिपोर्ट में उस समय की केन्द्र सरकार पर पहले भी और बाद में भी बहुत तल्ख टिप्पणियां की गई हैं। मैं एक टिप्पणी आपको पढक़र सुनाती हूं। "The Central Government was crippled …"यह उस सैंट्रल गवर्नमैन्ट की बात है, जिस समय श्री नरसिम्हाराव जी प्रधान मंत्री थे' "The Central Government was crippled by the failure of the Intelligence Agencies to provide an analysis of the situation; it stayed its hand, deferring to the hon. Supreme Court, which had taken up the matter and was dealing with them in appropriate directions." यहां पर जस्टिस लिब्रहान कह रहे हैं कि उस समय की केन्द्र सरकार अपाहिज हो गई थी। वह सारे मसले को सुप्रीम कोर्ट को सौंपकर हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। यह एक टिप्पणी है। दूसरी टिप्पणी जो मैं पढना चाहती थी, वह श्री पिनाकी मिश्रा जी ने पढ दी है, इसलिए मैं सदन का समय नहीं लेना चाहती, जिसमें उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूं कि आप जिस केन्द्र सरकार को अपाहिज बता रहे हैं, असहयोगी बता रहे हैं, उस केन्द्र सरकार के मुखिया कौन थे – स्व.श्री पी.वी. नरसिम्हाराव। कमीशन ने उन्हें तलब किया था। कमीशन के काउंसिल ने उनसे सवाल–जवाब किये थे। श्री पी.वी. नरसिम्हाराव के खिलाफ गवाहियां आई थीं और एक गवाह श्री मुलायम सिंह यादव इस सदन में मौजूद हैं, इन्होंने एफिडेविट दिया था, जिसमें गवाही दी थी। लेकिन पूरी की पूरी रिपोर्ट में एक शब्द भी प्रतिकूल टिप्पणी का श्री नरसिम्हाराव के खिलाफ नहीं हैं। एक जगह उनका नाम आता है, वह भी धन्यवाद देने के लिए आता है कि मैं धन्यवाद देता हूं कि श्री नरसिम्हाराव मेरे सामने पेश हुए। बाकी एक भी टिप्पणी उनके खिलाफ नहीं है। मगर इसके विपरीत श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें कमीशन ने कभी तलब नहीं किया। तलब करने की जरूरत नहीं समझी। जिनसे किसी ने सवाल–जवाब नहीं किये, जिनके खिलाफ एक भी गवाही नहीं है। "Not an iota of evidence was placed before the Commission." 22 जगह उनका नाम लिया गया, उनका नाम अपराधियों की सूची में डाला those who are culpable और उनके माथे अपराध भी क्या मढा, देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का।

मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रेस्पांसिबल हैं तो वह कंपनी जो उस समय शासन कर रही थी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी कैसे हो सकते हैं? उनके मैनेजिंग डायरेक्टर पाक–साफ घोषित कर दिए जाएं, उन्हें सारी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया जाए। यह एक संयोग है कि उस समय के उस कंपनी के एक डायरेक्टर आज इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठे हैं।.. अगर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदार हैं तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी नहीं हो सकते। राव साहब को खुली छुट्टी, नरसिम्हा राव को क्लीन चिट और अटल बिहारी वाजपेयी अपराधी, यह विकृति नहीं तो और क्या है।

कल राजनाथ जी ने 8बी के नोटिस की बात की थी। जब श्री सलमान खुर्शीद बोल रहे थे तो वह कह रहे थे कि 8बी के पीछे छिपने की बात क्यों कर रहे हो। क्यों भाई, यह अच्छा है, जब आपको सूट करे तो आप कानून और विधान की बात ले आओ और जब हम कानून और विधान की बात कहें तो आप कहें कि आप 8बी के नोटिस के पीछे क्यों छिप रहे हैं? सलामन खुर्शीद साहब मैं केवल कानून की धारा की बात नहीं कर रही हूं। मैं देश के लॉ आफ दि लैंड की बात कर रही हूं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रही हूं। सैक्शन 8बी तो स्पट है ही कि आप जरूर दर जरूर अगर किसी के खिलाफ टिप्पणी करना चाहते हैं तो 8बी का नोटिस दीजिए। लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमैन्ट भी आया है। भागलपुर के दंगों में जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो आदरणीय आडवाणी जी का नाम उन्हें 8बी. का नोटिस दिये बिना दे दिया गया। आडवाणी जी उनके नाम को शामिल करने के खिलाफ हाई कोर्ट में गये और उन्होंने

एक याचिका दायर की। उन्हें वहां से राहत मिली, उनकी याचिका मंजूर हो गई। लेकिन स्टेट ऑफ बिहार उस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमैन्ट पढक़र सुनाना चाहती हूं। "It is thus incumbent upon the Commission …" चिदम्बरम जी, आप ध्यान से सुनेगें, आप बहुत अच्छे से जजमैन्ट्स को एप्रिशिएट कर सकते हैं। "It is thus incumbent upon the Commission to give an opportunity to a person before any comment is made or opinion is expressed which is likely to prejudicially affect that person. Needless to emphasize that failure to comply with the principles of natural justice renders the action non-est as well as the consequences thereof." मैं यहां एक बात और बता दूं कि 8बी का नोटिस नहीं दिया गया, केवल इतना ही नहीं है, 8बी का नोटिस देने की दर्खास्त एक व्यक्ति ने कमीशन को दी थी। उसका नाम असलम भूरे है। उसने लिब्रहान कमीशन से कहा था कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को भी तलब करिये। श्री ओ.पी.शर्मा वकील के तौर पर पेश हुए । जस्टिस लिब्रहान ने वह एप्लीकेशन सुनी थी और 18 पेज का एक ऑर्डर उन्होंने सुनाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं वह ऑर्डर पढक़र सुनाती हूं। "I am satisfied that no useful purpose would be served in summoning the Prime Minister at this stage of inquiry on the advice by the Counsel for the Commission." महोदया, कमीशन के काउंसिल ने कहा था कि उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत ही नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब, मैं कहना चाहती हूं, यह नहीं है कि 8बी का नोटिस नहीं दिया गया, 8बी के नोटिस की एप्लीकेशन जस्टिस लिब्रहान ने खारिज की और कहा कि उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमें कहते हैं कि आप 8बी के नोटिस के पीछे छिप क्यों रहे हैं? महोदया, यह विकृति केवल वहीं तक नहीं रही, यह विकृति रिपोर्ट के आने के बाद भी जारी रही।

यह रिपोर्ट 24 तारीख को सदन मे पेश हुई। 24 तारीख को ही टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कोरेस्पांडेंट ने जस्टिस लिब्रहान से बात की। उन्होंनें उनसे पूछा कि अटल जी को बिना सम्मन किए, आपने उनके खिलाफ टिप्पणी कैसे कर दी? आप सुनिए, मैं पढक़र सुनाती हूं कि जस्टिस लिब्रहान ने क्या कहा? "Asked how he could have indicted Vajpayee who was never summoned to appear before the Commission in breach of Section 8(b) of the Commission of Inquiry Act, 1952, Justice Liberhan told Times of India from Chandigarh that "he never indicted the former PM. Please read the report in its context and show me a single reference to Vajpayee which can be construed as an indictment, Justice Liberhan said, pleading that no irresponsible reference be manufactured from his report?." No irresponsible reference be manufactured from his report. महोदया, यह उनका 25 तारीख को दिया हुआ इंटरव्यू है। यह 25 को छपा और 24 की शाम को दिया, लेकिन चार दिन के बाद जस्टिस लिब्रहान बदलते हैं और हिन्दू को एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में क्या कहते हैं– "Speaking to this correspondent from his Chandigarh home Justice Liberhan said that the Commission issued notice to the BJP and many of its leaders were examined as witness. He said: "Nobody can dispute that Mr. Vajpayee is a tall leader in that party which is a legal entity. Just like a Managing Director is responsible for the misdeeds of a company, a leader is equally responsible for the misdeeds of a party." महोदया, 25 तारीख की यह रिपोर्ट पढने के बाद मैं मुलायम सिंह जी और पिनाकी मिश्रा जी से सहमत हूं कि जस्टिस लिब्रहान ने यह रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी। यह अपने आप में खोज का विषय है कि यह रिपोर्ट किसने लिखी है और यह रिपोर्ट किसने लिखायी है? 25 तारीख के टाइम्स ऑफ इंडिया में जस्टिस लिब्रहान कहते हैं कि मेरी पूरी रिपोर्ट में कहीं अटल जी का नाम तो दिखाओ। वह कहते हैं कि "Read the report in its context." महोदया, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं, लेकिन उसके बाद उन्हें लोगों ने जाकर दिखाया कि साहब, आप रिपोर्ट पढक़र तो देखिए, इसमें तो 22 जगह अटल जी का नाम है और उनका नाम अपराधियों की सूची में है। उन्होंने यह तर्क गढ़ा कि मैंने तो बीजेपी को नोटिस दे दिया था, जरूरत क्या थी। एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रेस्पांसिबल होता है, उसी तरह से वे रेस्पांसिबल हैं। महोदया, मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रेस्पांसिबल हैं तो वह कंपनी जो उस समय शासन कर रही थी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी कैसे हो सकते हैं? उनके मैनेजिंग डायरेक्टर पाक–साफ घोषित कर दिए जाएं, उन्हें सारी जिम्मेदारियों से बरी कर दिया जाए। यह एक संयोग है कि उस समय के उस कंपनी के एक डायरेक्टर आज इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठे हैं। सरदार मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। यह कोई छोटा–मोटा ओहदा नहीं होता है। वे उस सरकार के वित्त मंत्री थे, वे उस समय डायरेक्टर भी थे और आज वे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जिम्मेदार हैं तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर बरी नहीं हो सकते। राव साहब को खुली छुट्टी, नरसिम्हा राव को क्लीन चिट और अटल बिहारी वाजपेयी अपराधी, यह विकृति नहीं तो और क्या है। मैंने कहा था कि मैं अपने इस आरोप को पुष्ट करूंगी कि यह विकृत भी है, सबूतों के खिलाफ भी है और यह निराधार भी है।

अपनी बात को पुष्ट करने के लिए ये दो तर्क मैंने दिए और अब मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं। लिब्रहान कमीशन

मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ जस्टिस लिब्रहान को, कि जन–आंदोलन के दृश्य एयर–कंडीशंड कमरों मैं बैठकर नहीं देखे जा सकते। जन–आंदोलन के दृश्य अगर देखने हैं, तो तपती दुपहरी और ठिठुरती रातों में, धूल–धक्कड़ भरी सड़कों पर खड़े होना पड़ता है, तब जन–आंदोलन के दृश्य दिखाई पड़ते हैं।

को पांच काम सौंपे गये थे। तीन काम किये, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर बोले, सरकमटांसिस पर बोले, मुख्यमंत्री और वहां के अधिकारियों की भूमिका पर बोले, अब कोई भी रिपोर्ट दी, सही दी, गलत दी, सच दी, झूठ दी, सत्य दी, असत्य दी मगर दी। यह काम उन्हें किसने सौंपा था? सेक्युलरिज्म के ऊपर 26 पेज का एक निबंध लिख डाला। आर.एस.एस., बीजेपी के संबंधों पर पूरा थीसिस जड़ दिया। मुस्लिम संगठनों की आलोचना में एक पूरा लेख लिख डाला। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि यह एक न्यायाधीश द्वारा दी गई न्यायिक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक अवसरवादी द्वारा दी गई एक राजनैतिक रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहती हूँ चिदम्बरम जी से कि कौन सी ख्वाहिश पूरी की है आपने जज साहब की? विश लिस्ट बहुत लंबी थी, मुझे जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से लेकर राज्यपाल से होती हुई वह विशलिस्ट राजदूत तक पहुँचती थी। लेकिन अब तो उन्होंने अपने रिकमंडेशंस के चैप्टर में ही अपने लिए तीन नौकरियाँ खोज दी हैं। किस पर सहमति हुई है ज़रा बता दीजिए। आज नहीं बताएँगे तो महीनों बाद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह रिपोर्ट पूरे तोल–माप कर समय नियत होने के बाद दी गई है, जब सारी अनिश्चितताएँ समाप्त हो गईं। जब नई सरकार आ गई और पता लग गया कि अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची, तब यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में से निकली है।

मुलायम सिंह यादव जी गवाह हैं, अधिकारियों की पत्नियां अपने बच्चों को लेकर सामने खड़ी हो गईं थीं कि पहले गोली हम पर चलाओ, बाद में कारसेवकों पर चलाना। ये कहते हैं कि वह आंदोलन नहीं था, जनआंदोलन नहीं था। चंडीगढ में बैठ कर आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि वह जनआंदोलन नहीं था। अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्र भारत का वह सबसे बड़ा जनआंदोलन था और उसी आंदोलन ने आडवाणी जी को जननायक बनाया था।

अध्यक्ष जी, आप जानती हैं कि 17 साल कितने होते हैं? एक किताब मेरे हाथ लगी थी जिसका शीर्षक था 6000 डेज़। बहुत आकर्षक सा शीर्षक लगा। मैंने उठाकर देखी। अमिया राव की लिखी हुई किताब है। अमिया राव को आडवाणी जी जानते हैं। यह स्टरलिंग पब्लिकेशन की किताब है 6000 डेज़। मैंने पलटकर देखा कि देखूँ तो किसके बारे में लिखा है 6000 दिन। अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू के कार्यकाल की वह किताब है। इस देश में 6000 दिन उन्होंने राज किया – वह 17 साल बनते हैं। 1947 में प्रधान मंत्री बने और 1964 में देहान्त हुआ। 1952 का चुनाव जीते, 1957 का चुनाव जीते, 1962 का चुनाव जीते, तब जाकर 17 साल पूरे हुए। लेकिन जब मैं इन दिनों का हिसाब लगा रही थी कि 16 दिसंबर 1992 को अधिसूचना जारी हुई और 30 जून, 2009 को यह रिपोर्ट पेश की गई, तो जानती हैं, कितने दिन बनते हैं – 6036 दिन। यानी एक प्रधान मंत्री का पूरा कार्यकाल निकल गया और वह कार्यकाल जिन्होंने सबसे ज्यादा देर इस देश में राज किया। एक प्रधान मंत्री का पूरा कार्यकाल निकल गया और यह रिपोर्ट उसके भी 36 दिन बाद आई है। 6036 दिन के बाद यह रिपोर्ट आई है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि यह रिपोर्ट कैसे कैसे निष्कर्ष लेकर आई है। इसीलिए 17 साल के बाद जो टिप्पणियाँ छपी हैं अखबार में – "17 years, 48 extensions, eight crores and a dead Report." दूसरी टिप्पणी छपी – ''17 वर्ष और 1700 पेज की रद्दी। ''तीसरी टिप्पणी छपी – ''खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वह भी मरी हुई!'' कैसे कैसे निष्कर्ष निकाले हैं इन्होंने।

एक निष्कर्ष है इनका कि अयोध्या तो कोई मूवमैंट ही नहीं है, आंदोलन ही नहीं था। मैं पढक़र सुनाती हूँ। इसमें इन्होंने कहा – "Though the Report uses the verbiage `movement? frequently", हम बार बार इसमें आंदोलन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह रिपोर्ट कह रही है, "The demand for a temple at Ayodhya never really became a public movement in the true sense of the word. While traditionally the word movement has been used to denote a collective desire of the public to secure a particular result, the Ayodhya temple never achieved the proportion more close to this level. The use of the word `movement? notwithstanding the Ayodhya episode was never accompanied by a public movement." मैं आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूँ जस्टिस लिब्रहान को, कि जन–आंदोलन के दृश्य एयर–कंडीशंड कमरों में बैठकर नहीं देखे जा सकते। जन–आंदोलन के दृश्य अगर देखने हैं, तो तपती दुपहरी और ठिठुरती रातों में, धूल–धक्कड़ भरी सड़कों पर खड़े होना पड़ता है, तब जन–आंदोलन के दृश्य दिखाई पड़ते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं उस मूवमैंट की साक्षी रही हूँ। अध्यक्ष महोदया, आडवाणी जी की राम रथ यात्रा में हरियाणा खंड में मैं उनके साथ थी। वे दृश्य आज तक मेरी आंखों में जस के तस जिन्दा हैं। महिलाएं हाथ में आरती की थाली लेकर आती थीं, रथ के सामने खड़े होकर बोनट पर स्वास्तिक बनाती थीं और फिर रथ की आरती उतारने के बाद उसके पहियों की धूल अपने माथे से लगा कर अपने आपको धन्य समझा करती थीं। वे दृश्य मैंने देखे हैं। अध्यक्ष महोदया, कारसेवकों की वह कहानियां अभी तक मेरे कानों में गूंजती हैं। अध्यक्ष महोदया, जब मुलायम सिंह जी ने अयोध्या पहुंचने पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह ऐलान किया था कि वहां एक परिन्दा भी पर नहीं मार सकता। उस समय तमाम कारसेवक वाहन छोड़ कर पगडंडियों के रास्ते गांवों से होते हुए अयोध्या जा रहे थे। जहां भी गांव में रात हो जाती थी तो वहां के लोग आकर आग्रह करते थे कि आप हमारे घर में रुको, विश्राम करो। उस समय उन घरों की गृहणियां गर्म पानी में नमक डाल कर उन कारसेवकों के चरण धोती थीं। सरसों का तेल लगा कर उनके पैर के तलवों की मालिश करती थीं और आंखों में आंसू भर कर उन कारसेवकों से अपनी भोजपुरी में कहती थीं कि भैया, हम तो वहां न जाय सकत, पर तुम्हार चरण पथार कर हम पुण्य कमा लें। वे कहती थीं कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम्हारे चरण पथार कर जितना थोड़ा पुण्य मिलता है, वह हम ले सकते हैं। मध्यम वर्ग की महिलाएं घर से आलू–पूरी बना

कर कारसेवकों के लिए भेजा करती थीं। मुलायम सिंह यादव जी गवाह हैं, अधिकारियों की पत्नियां अपने बच्चों को लेकर सामने खड़ी हो गई थीं कि पहले गोली हम पर चलाओ, बाद में कारसेवकों पर चलाना। ये कहते हैं कि वह आंदोलन नहीं था, जनआंदोलन नहीं था। चंडीगढ में बैठ कर आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि वह जनआंदोलन नहीं था। अध्यक्ष महोदया, स्वतंत्र भारत का वह सबसे बड़ा जनआंदोलन था और उसी आंदोलन ने आडवाणी जी को जननायक बनाया था।

अध्यक्ष महोदया, ऐसे–ऐसे विकृत निष्कर्ष इस रिपोर्ट ने निकाले हैं, आप सुन कर हैरान होंगी। मैं एक जगह पढ क़र आश्चर्यचकित रह गई। यहां कहा गया कि दीनदयाल उपाध्याय जी दो राष्ट्र के सिद्धांत को मानने वाले थे, उन्हें कोट किया है। मैं पढ कर सुनाती हूं – Paragraph 85.14 in page 566 of Chapter 8 says: Deen Dayal Upadhya had stated that: "The problem of India is not inter-caste, it is international. If peace is to reign here, the major communities must be given their own separate chunks of land. It is nothing but mere dream to imagine that Hindus and Muslims can stay together in India as members of composite nationality. The Muslims are not a minority community, they are a nation. They must have their own independent land and their own state." यह दीनदयाल जी ने कहा, जब हमने यह पढा़ तो हमें लगा कि यह तो मोहम्मद अली जिन्ना का बहुचर्चित कोट है। ये कहां से दीनदयाल जी के मुंह में डाल दिया। फिर हमने सोर्स देखा और कहा कि यह आया कहां से? मैं रिपोर्ट में दीन दयाल जी के नाम पर गढा़ गया एक कोट पढक़र सुना रही हूं जिसके अनुसार दीन दयाल जी ने ऐसा कहा था, यह रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन चूंकि यह मोहम्मद अली जिन्नाह का बहुत पॉपुलर कोट है, इसलिए हमें लगा कि यह आया कहां से? हमने इसी रिपोर्ट में सोर्स देखा, तो सोर्स है, Pandit Deen Dayal Upadhya?s "Ideology and Perception", Part 5, Concept of Hindu Rashtra, तो हमने कहा कि यह कौन सी किताब है, इसे निकालो तो सही, क्योंकि हम लोगों ने यह किताब कभी देखी नहीं। इसके लिए हमने दीन दयाल शोध संस्थान में फोन किया कि क्या ऐसी कोई किताब है, तो उन्होंने कहा कि हां, किताब तो है। हमने कहा कि जब इस नाम की किताब है, तो हमारे पास उसे भेजो। उन्होंने पूछा कि क्यों चाहिए, हमने कहा कि जस्टिस लिब्राहन जी ने दीन दयाल उपाध्याय जी को कोट करते हुए यह बात कही है। मैं उस किताब का, जिसमें यह कोट था, उसका पन्ना फोटोकॉपी कर के लाई हूं। यह किताब है– पं. दीनदयाल उपाध्यायज 'आइडियोलौजी एंड परसैप्शन अगर किसी को किताब चाहिए तो वह जाकर पढ ले़। इसका नाम है– "Concept of Rashtra" कॉसैप्ट ऑफ हिन्दू राष्ट्र नहीं। इसे श्री यशवन्तराव केलकर ने ट्रांसलेट किया है। अध्यक्षा जी, यह वह किताब है, जिससे कोट किया है। उसमें वे कहते हैं कि – "Jinnah advocated the theory that Hindus and Muslims are two separate nations with propagandist zeal. He said - means Jinnah said - "The problem of India is not inter-caste, it is international. If peace is to reign here, the major communities must be given their own separate chunks of land. It is nothing but mere dream to imagine that Hindus and Muslims can stay together in India as members of composite nationality. The Muslims are not a minority community, they are a nation. They must have their own independent land and their own state." जिन्नाह का कोट, इनवर्टेड कॉमाज लगाकर दीन दयाल उपाध्याय जी के मुंह से कहलवा दिया गया। इतनी विकृतियां हैं। हम तो हैरान हो गए। जब हम पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो हमें लगा कि दीन दयाल जी ने यह कब कहा, दीन दयाल जी की सोच ऐसी कब हो गई? तो पता चला कि मोहम्मद जिन्नाह का कोट दीन दयाल जी के मुंह से रिपोर्ट में कोट कर दिया गया।

यह जस्टिस लिब्राहन को मालूम नहीं, वे चंडीगढ में बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि हिन्दू गॉड हैं। वे हिन्दू देव या देवता नहीं, राम भारत की आत्मा हैं। इसीलिए जन्म से लेकर मरण तक लोग राम नाम जपते हैं। बच्चा पैदा होता है तो मां अपनी अंगुली से उसकी जुबान पर राम लिखती है और मरने के बाद एक मृत व्यक्ति की अर्थी राम नाम सत्य कहते हुए उठती है। मैं कहना चाहती हूं, मैं कितनी विसंगतियां बताऊं, कितनी वि.तियां बताऊं? अध्यक्षा जी, मैंने कहा था कि यह न्यायिक रिपोर्ट नहीं, विसंगतियों की भरमार है यह रिपोर्ट, विसंगतियों का पुलिन्दा है यह रिपोर्ट और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है यह रिपोर्ट और साम्प्रदायिक दुर्भावना का दस्तावेज़ है यह रिपोर्ट।

महोदया, मैं कितनी विकृतियां बताऊं? एक जगह कहते हैं राम को हिन्दू गौड, एक जगह कहते हैं कि वे अवतार जैसे थे–considered incarnation of God. अब मैं पूछना चाहती हूं, कल जिस समय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अलामा इकबाल ने उन्हें इमामे हिन्द कहा था, बाद में मैंने सलमान खुर्शीद साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हां, उन्हें इमामे हिन्द क्या, अगर उन्हें इमामे दुनिया भी कहा जाए, तो हम मानेंगे, क्योंकि उसमें हम निजामे मुस्तफा देखते हैं। यह सोच सही है। यही सोच चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आप उन्हें हिन्दू गौड कह कर संकीर्ण कर रहे हैं। अगर इस्लाम को मानने वाले, अलामा इकबाल, उन्हें इमामे हिन्द कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में 2533 बार राम का नाम आता है। अजनाला साहब बैठे हैं। गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, जिसके लिए कहा गया कि गुरु मानियो ग्रंथ, ग्रंथ को ही गुरू मानो। यह बात मैं अंदाज या अटकलों के आधार पर नहीं कह रही हूं। लक्ष्मण चेला राम जी ने एक शोध किया है कि गुरुग्रंथ साहब में परमात्मा के नाम, किस–किस रूप में कितनी बार आए हैं। उसमें उन्होंने कहा

है कि 2533 बार राम का नाम, गुरुग्रंथ साहब में आया है। महोदया, अभी श्री पिनाकी मिश्रा जी, श्री हरप्रीत सिंह ज्ञानी का नाम कोट कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मदद की। यह रिपोर्ट ज्ञानी जी ने लिखी है। इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि वे तो सिख धर्म को मानने वाले हैं। वैसे भी जस्टिस लिबरहान चंडीगढ में रहते हैं, जो पंजाब और हरियाणा की साझी संस्कृति का केन्द्र है। वे भूल गए गुरुवाणी को, गुरू नानकदेव ने दो ऐसे शब्द कहे हैं, जो हर हिन्दू और सिख वहां अपने–अपने घरों में बोलता है। उन्होंने कहा हैः ''संग सखा सब तजि गये, कोय न निभयो साथ, कह नानक की विपति में, टेक एक रघुनाथ।' उनका दूसरा शबद हैः ''राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय, जे सिमरत संकट मिटे, दरश तुम्हारो होय।'' यह जस्टिस लिब्राहन को मालूम नहीं, वे चंडीगढ में बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि हिन्दू गॉड हैं। वे हिन्दू देव या देवता नहीं, राम भारत की आत्मा हैं। इसीलिए जन्म से लेकर मरण तक लोग राम नाम जपते हैं। बच्चा पैदा होता है तो मां अपनी अंगुली से उसकी जुबान पर राम लिखती है और मरने के बाद एक मृत व्यक्ति की अर्थी राम नाम सत्य कहते हुए उठती है। मैं कहना चाहती हूं, मैं कितनी विसंगतियां बताऊं, कितनी विकृतियां बताऊं? अध्यक्षा जी, मैंने कहा था कि यह न्यायिक रिपोर्ट नहीं, विसंगतियों की भरमार है यह रिपोर्ट, विसंगतियों का पुलिन्दा है यह रिपोर्ट और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है यह रिपोर्ट और साम्प्रदायिक दुर्भावना का दस्तावेज़ है यह रिपोर्ट।

यह न्यायिक रिपोर्ट नहीं, विसंगतियों की भरमार है यह रिपोर्ट, विसंगतियों का पुलिन्दा है यह रिपोर्ट और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है यह रिपोर्ट और साम्प्रदायिक दुर्भावना का दस्तावेज़ है यह रिपोर्ट।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उसने मुस्लिम संगठनों पर जो एक अध्याय लिखा है, आप पढिये, एक–एक शब्द में से साम्प्रदायिकता की गन्ध आती है। यहां ओवेसी साहब खड़े हो रहे थे, मैं उनसे कहना चाहती हूं, आपने यह रिपोर्ट पढ़ी है? सारे हिन्दू संगठनों को उन्मादी और तमाम संस्थाओं को नाकारा बताते हुए एक दूसरे के सामने खड़े होने की बात की है। अध्यक्षा जी, उसने पूरे मुस्लिम अवाम का आह्वान किया है कि अपने मुस्लिम नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाओ। कल आप अपील कर रही थीं, जिस समय यह चर्चा प्रारम्भ हो रही थी कि मैं कहना चाहती हूं कि धैर्य रखिये, संयम रखिये, किसी तरह का साम्प्रदायिक सौहार्द्र खराब मत होने दीजिए। मैं कहती हूं, अगर यह रिपोर्ट आप लोगों के पढने के लिए रख देंगे तो यह तो दंगों का अंकुर है, यह रिपोर्ट तो दंगों का बीज बोने वाली है। जस्टिस लिब्रहान कहते हैं, मेरे पास मुस्लिम कम्युनिटी आई ही नहीं लिब्रहान यह कह रहे हैं कि एक तरफ तो हिन्दू संगठन खड़े थे, आर.एस.एस., बी.जे.पी. , वी.एच.पी., बजरंग दल और दूसरी तरफ मुस्लिम संस्थाएं सो रही थीं, आप खड़े ही नहीं हुए। उन्होंने मुस्लिम अवाम को इनके प्रति भड़काया है और ओवेसी साहब, आपके तो अब्बाजान लिब्रहान कमीशन में पेश हुए थे, इसलिए तमाम के तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने यह टिप्पणी की है। मैं आपसे कहना चाहती हूं और गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं, खुदा के वास्ते इस रिपोर्ट को खारिज कर दीजिए, इस रिपोर्ट को खत्म कर दीजिए। यह रिपोर्ट अगर रहेगी तो देश में दंगे भड़काने का काम करेगी। अगर आपको उत्तर चाहिए तो हम उत्तर दे रहे हैं। उत्तर हम आज भी दे सकते हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं, कौन से सवालों का जवाब आपको चाहिए? 6 दिसम्बर, 1992 का जवाब चाहिए, इसका कि 6 दिसम्बर, 1992 को ढांचा गिराया, हां मैं कहती हूं, गिराया। कारसेवकों ने गिराया–जी गिराया। षड्यंत्र के तहत गिराया–नहीं, षड्यंत्र के तहत नहीं गिराया। क्या गिराने की सजा भुगतने को तैयार हो? अगर आपका प्रश्न यह है कि क्या गिराने की सजा भुगतने को तैयार हो तो मैं सदन में खड़े होकर कहना चाहती हूं कि तैयार हैं, बिलकुल तैयार हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि वह भी तैयार हैं, जो वहां थे, वह भी तैयार हैं जो वहां नहीं थे, वह भी तैयार हैं जो सदन में बैठे हैं और वह भी तैयार हैं जो सदन के बाहर हैं। अगर आपको सजा देनी हो तो दो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन किंतु–परंतु करके, अगर–मगर करके, इधर–उधर करके समस्या को टालो मत। पचास साल तक अदालतें जिस बात का फैसला नहीं कर सकीं, उसका हल केवल संवाद से निकलेगा, संवाद करो। दोनों कम्युनिटीज को एक साथ बैठाओ। समुदायों के प्रमुख लोगों के साथ बात करो। मैं हैरान हुयी जब गुरूदास दासगुप्त जी बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि मैं प्यूनिटिव एक्शन तो नहीं चाहता, पोलिटिकल आइसोलेशन इसकी सजा है। गुरूदास दा, अभी चार दिन पहले आपने मुझे न्यौता दिया था कि आप आकर ऐटेक की रैली को एड्रेस करो और कल आप पोलिटिकल आइसोलेशन की बात कर रहे थे। हमारे कामरेड्स को दो फेस बहुत सूट करते हैं। जब इन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाना होता है, तो यह कहते हैं कि सेक्युलर फोर्सेज को इकट्ठा हो जाना चाहिए, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं और जब इन्हें बीजेपी का साथ चाहिए, तो यह कहते हैं कि इकॉनामिक ईश्यूज पर हम सब को साथ हो जाना चाहिए, इसलिए बीजेपी हमारे साथ रहे। ये यह कहना चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी, इन्होंने उस दिन कहा था, "This is a very significant move." हम इकॉनामिक ईश्यूज पर इकट्ठे हो जाएं। आप आइए, हमारे यहां की रैली को एड्रेस करिए। उस दिन मुझे सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी। अगर चार दिन बाद आप पोलिटिकल आइसोलेशन की बात करने वाले थे, तो आपने मुझे उस दिन न्यौता क्यों दिया था? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि पोलिटिकल आइसोलेशन इसका जवाब नहीं है, इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान है – इकट्ठे बैठना। मगर किस मानिसकता से बैठना? इस मानसिकता से बैठो कि हमलावरों के विजयचिन्ह गर्व के नहीं, शर्म के स्मारक होते हैं। इस मानसिकता से बैठो तो जरूर–दर–जरूर हल निकलेगा। कोई जगह बंद नहीं होती, इतिहास में ऐसे बहुत से पड़ाव आए हैं, जहां लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में से राह निकला करती है। इस रिपोर्ट को खारिज करो। कम से कम मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करती हूं। We dismiss this Report lock, stock and barrel. Thank you. ■

लिब्रहान रिपोर्ट एक राष्ट्रीय मजाक : अरुण जेटली

राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर हुई बहस में दिए गए भाषण का सारांशः—

पिछले 17 वर्षों के दौरान सम्पन्न हो चुके पांच आम चुनावों में कम से कम तीन बार हमारा दल संसद में सबसे बड़े दल के रूप में चुनाव जीतकर सामने आया। अन्य दो चुनावों में हमारा दल दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया है। लिब्रहान रिपोर्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं है और यह एक बेकार का कार्य सिद्ध हुआ है जैसा कि 'की गई कार्रवाही रिपोर्ट' से स्पष्ट है। 'की गई कार्रवाही रिपोर्ट' में ही यह दर्शाया गया है कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे लागू नहीं किया जा सकता है। यह रिपोर्ट गत 17 वर्षों में तथ्य के बारे में पता लगाने वाली प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी है। मैं इस दस्तावेज को लीक किए जाने के बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन, जिस तरीके से इसे लीक किया गया वह इस रिपोर्ट के विषयों की भांति ही संदेहास्पद है।

'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' में कुल मिलाकर इतना ही कहा गया है कि साम्प्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और प्रभावित लोगों का पुनर्वास) विधेयक लाया जाए। विधेयक संभवतः ऐसे विषय पर लाये जाने की बात कही गयी है जिसमें केन्द्रीय विधान मंडल का कोई विधायी क्षेत्राधिकार नहीं है और फिर इसमें आगे कहा गया है कि कुछ मामले संघ लोक सेवा आयोग और कुछ मामले निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए जाएंगे। एक न्यायाधीश साक्ष्य पर गौर करता है, वह उस मुद्दे पर विचार करता है जिसके बारे में उसे निर्णय देना है और वह साक्ष्य को मुद्दे पर विचार करता है जिसके बारे में उसे निर्णय देना है और वह साक्ष्य को मुद्दे के साथ जोड़कर देखता है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। वह किसी राजनीतिक विवादों में नहीं पड़ता। वह किन्हीं विचारधाराओं के बारे में टिप्पणी देना शुरू नहीं कर देता कि कौन सी विचारधारा अच्छी और कौन सी बुरी है।

यदि सरकार पूरी गंभीरता के साथ यह कहे कि हमें ऐसा दस्तावेज स्वीकार है तो मेरे विचार से न्यायिक आउटसोर्सिंग संभवतः एक सुधार हो सकता है जिसके बारे में श्री वीरप्पा मोइली को विचार करना चाहिए। न्यायाधीश महोदय लम्बित पड़े मुकदमों की संख्या कम करने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः इसे हमारे विचारण और निर्णय लेखन के कार्य में तेजी आ सकती है। इसी तरीके से यह दस्तावेज तैयार किया गया।

प्रमुख प्रश्न यह था कि इस संरचना का विध्वंस किसने किया और उन लोगों के विरूद्ध क्या साक्ष्य हैं? क्या कोई षड्यंत्र था या छोटे से समूह की यह एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। इस साक्ष्य के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है लेकिन, वह निष्कर्ष न्यायाधीश या आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और सामग्री पर आधारित होना चाहिए। आयोग को साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष देना होता है। आयोग को कोई राजनीतिक राय व्यकित नहीं करना होता है। आयोग एक सच्चा अन्वेषणकर्ता होता है; आयोग कोई राजनैतिक पंडित नहीं होता। न्यायाधीश ने रिपोर्ट में यह दर्ज की है कि आयोग के समक्ष षड्यंत्र या पूर्व नियोजित कार्यवाही के बारे में कोई साक्ष्य या सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। आगे वह कहते हैं मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों जो स्वाभाविक रूप से दुखी थे उनके समक्ष आये और कहा कि किसी प्रकार का षड्यंत्र

> ***ऐसी सोच थी कि राम जन्मस्थान पर मंदिर के निर्माण की मांग धर्म के अनुरूप नहीं थी और यह मांग कि जो निर्माण वहां पहले से था उसमें बदलाव नहीं लाया जाना चाहिए, धर्म के अनुरूप थी। जिन 68 व्यक्तियों को वहां अव्यवस्था पैदा करने के लिए दोषी पाया गया, उनमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिस व्यक्ति ने प्रतिवेदन तैयार किया, उसने न केवल अपनी विश्वसनीयता के संबंध में बल्कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विश्वसनीयता के संबंध में गलत निर्णय लिया।***

सिद्ध करने के लिए उकने पास को साक्ष्य मौजूद नहीं हैं।

गृह सचिव, श्री गोडबोले एक गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि योजना की कोई सूचना नहीं थी और इस प्रकार से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि विध्वंस के लिए कांग्रेस और भाजपा का षड्यंत्र था। न तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, न ही आयोग का जांच दल, लम्बी प्रक्रिया के बावजूद किसी गवाह का पहचान कर पाया और न ही किसी गवाह को प्रस्तुत कर पाया। जांच की लम्बी अवधि के दौरान अप्रत्याशित प्रचार के बाद भी कोई भी मामले को आगे बढ़ाने अथवा उन व्यक्तियों, जिन्होंने विध्वंस का कार्य किया था अथवा जिन्होंने विध्वंस का षड्यंत्र रचा था, को पहचानने के लिए आगे नहीं आया। मुस्लिम संगठन, जो असंतुष्ट हैं, के पास भी साक्ष्य नहीं है।

एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग प्रतिवेदन देता है। हम इस पर बहस कर रहे हैं और यह बहुत विस्तृत है। प्रतिवेदन एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसकी विश्वसनीयता हो। प्रतिवेदन ऐसा दस्तावेज नहीं हो सकता जो अन्तहीन विवाद की विषय–वस्तु बन जाए। जनता का समय और धन बरबाद करने के सत्रह वर्षों के बाद स्थिति यह है कि आप अभी भी जांच आयोग के प्रतिवेदन पर बहस कर रहे हैं। इसमें अनेक त्रुटियां हैं और ये त्रुटियां नगण्य नहीं हैं। जब प्रतिवेदन में सभी रिफ से यह पता चल गया कि किसी षड्यंत्र का कोई साक्ष्य नहीं है और किसी ने भी षड्यंत्र के विरूद्ध कोई तथ्य नहीं दिए हैं तो आयोग श्री आडवाणी जी और उसके साथियों को किस प्रकार से शामिल करता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिन्दुओं की पवित्र भूमि पर एक मस्जिद बनाई गई और ऐसा 365 वर्ष पूर्व हुआ था।

प्रतिवेदन एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसकी विश्वसनीयता हो। प्रतिवेदन ऐसा दस्तावेज नहीं हो सकता जो अन्तहीन विवाद की विषय–वस्तु बन जाए। जनता का समय और धन बरबाद करने के सत्रह वर्षों के बाद स्थिति यह है कि आप अभी भी जांच आयोग के प्रतिवेदन पर बहस कर रहे हैं। इसमें अनेक त्रुटियां हैं और ये त्रुटियां नगण्य नहीं हैं। जब प्रतिवेदन में सभी रिफ से यह पता चल गया कि किसी षड्यंत्र का कोई साक्ष्य नहीं है और किसी ने भी षड्यंत्र के विरूद्ध कोई तथ्य नहीं दिए हैं तो आयोग श्री आडवाणी जी और उसके साथियों को किस प्रकार से शामिल करता है।

ऐसी सोच थी कि राम जन्मस्थान पर मंदिर के निर्माण की मांग धर्म के अनुरूप नहीं थी और यह मांग कि जो निर्माण वहां पहले से था उसमें बदलाव नहीं लाया जाना चाहिए, धर्म के अनुरूप थी। जिन 68 व्यक्तियों को वहां अव्यवस्था पैदा करने के लिए दोषी पाया गया, उनमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिस व्यक्ति ने प्रतिवेदन तैयार किया, उसने न केवल अपनी विश्वसनीयता के संबंध में बल्कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विश्वसनीयता के संबंध में गलत निर्णय लिया।

बहरहाल, लिब्रहान आयोग श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रति सहृदय है। इसके अतिरिक्त यह सवाल उठता है कि अनुच्छेद 356 को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए था या नहीं। आयोग का प्रतिवेदन बताता है कि जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने रिपोर्ट नहीं दी तो अनुच्छेद 356 को लागू नहीं किया जा सकता था।

आयोग का प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, इसके राज्यपाल तथा उच्चतम न्यायालय एवं इसके पर्यवेक्षक पर दोष मढ़ता है। इस संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतिवेदन में ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख भी है जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उपस्थित थे। परन्तु वास्वत में ज्यादातर व्यक्ति कहीं–न–कहीं व्यस्त थे या वहां से अनुपस्थित थे।

इसी प्रकार यह गवाहों की एक सूची भी प्रस्तुत करता है जिसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है। इसमें एक व्यक्ति का उल्लेख है जो पत्रकार था और जो वास्तव में गवाह नहीं था। किन्तु उसे केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के सामने आना पड़ा। अर्थात् आयोग की उपलब्धियां निरर्थक हैं। देश, जो कुछ पिछले 17 वर्षों के दौरान किया गया है, उसमें से विश्वास खो चुका है। प्रतिवेदन का यह निष्कर्ष है कि जिस सरकार की कार्यसूची में धर्म शामिल हो, उसे प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। आयोग संपूर्ण संविधान, नौकरशाह की भर्ती–नीति और जाति–आधारित नियुक्तियों की जांच करने की सिफारिश करता है। प्रतिवेदन में एक अच्छी सिफारिश भी की गई है कि किसी भी राज्य सरकार का उन लोगों के साथ भेद–भाव करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो राज्य में पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन संविधान की दसवीं अनुसूची को हटाने की सिफारिश समर्थनीय नहीं है। इसमें मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ भी भला–बुरा कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जिस स्मारक और पूजा–स्थल के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, उससे संबंधित मामलों की जांच करने के लिए न्यायाधीशों और आयोगों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वह उस निर्माण के नीचे जो कुछ है, उसका पता लगाए ताकि सच्चाई का खुलासा किया जा सके। इसी प्रकार, जीआरपीएस को उस स्थान का राडार के माध्यम से सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था। उनके निष्कर्ष परिणामों में यह बताया गया कि 1528 तक शायद वहां एक मंदिर था जबकि बाकी नाम के एक व्यक्ति ने वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया। था। मंदिर के अस्तित्व के संबंध में अनेक विदेशी और स्वदेशी साक्ष्य हैं। उपर्युक्त के संबंध में उन पार्टियों के साथ बातचीत करके, इस विवाद को निपटाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए जो इसे बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि एक सभ्य समाज तनाव और संघर्ष बर्दास्त नहीं कर सकता है। इस संबंध में सभी के लिए न्याय वांछित हैं– चाहे वह बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक। ■

तथ्य विहीन और भ्रामक रिपोर्ट

आयोग का गठन निम्नलिखित विचारार्थ विषयों की जांच करने के लिए किया गया था:

1. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर में घटी घटनाओं से संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों से जुड़ी सभी घटना अनुक्रम, जिनके कारण राम जन्मभूमि-बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ।
2. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों, संबंधित संगठनों और एजेंसियों की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस या उससे संबंधित घटनाओं में अदा की गई भूमिका।
3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में खामियां, जिनका निर्धारण किया गया था अथवा जिन्हें कार्यरत किया गया, जिनके कारण 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या नगर और फैजाबाद में राम जन्मभूमि - बाबरी मस्जिद परिसर में ऐसी घटनाएं घटने में सहयोग मिला।
4. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मीडिया कर्मियों पर प्रहार से संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थतियों से जुड़ी सभी घटनाओं का अनुक्रम।
5. कोई भी अन्य विषय जिनका संबंध जांच के विषय से जुड़ा हो।

प्रारंभिक टिप्पणी

आयोग ने सतरह वर्षों की दीर्घावधि के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग की इस रिपोर्ट पर देश को सहस्त्रों करोड़ रूपए की कीमत चुकानी पड़ी है। यह लोगों की आशाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। इस रिपोर्ट से वे तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं जिसके लिए आयोग का गठन किया गया था। ऐसा लगता है कि यह रिपोर्ट पूर्वाग्रह मस्तिष्क से दी गई है जिसमें किसी खास व्यक्ति और/या संस्था पर रिपोर्ट देने का मन बना लिया गया था। लगता है कि आयोग ने पहले से ही तय कर लिया था कि कुछ व्यक्तियों और संगठनों को रिपोर्ट में दोषी ठहराया जाना है और अन्य लोगों को क्लीन चिट दी जानी है। इस प्रक्रिया में आयोग ने घटना क्रम के पीछे सत्य का उद्घाटन करने की बजाए स्वयं को ही कहीं अधिक उद्घाटित कर दिया है। रिपोर्ट में अनेक प्रकार के विरोधाभास और असंगतियों से भरे छेद दिखाई पड़ते हैं।

यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि आयोग शायद ही कभी उस स्थल पर गया हो जहां तथाकथित घटना घटी। विचित्र बात है कि रिपोर्ट में घटना स्थल पर न जाना खलता है और तथ्य यही है कि उसे कार्यालय में बैठ कर ही लिखा गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने घोषणा की थी कि आयोग का कार्यालय लखनऊ में होगा, परंतु आयोग का काम काज कभी भी लखनऊ में न होकर दिल्ली में ही हुआ।

आयोग ने विचारार्थ विषयों का अतिलंघन किया:

पृष्ट 942 पर अध्याय 14 (निष्कर्ष) के पैराग्राफ सं. 166. 8 में कहा है.....'' बारबार कही गई और बार-बार इंकार की गई टिप्पणियां हैं जो गोविन्दाचार्य के नाम है.....

> **टिप्पणी:** ***यह एक पूर्णत: विचारार्थ विषयों से हटकर गुमराह और असंगतबद्ध हैं। ये तथाकथित टिप्पणियां (और इनसे इंकार भी किया गया है) दिसंबर 1992 के बहुत बाद की हैं।***

पृष्ठ सं. 958, पैरा सं. 171 में आयोग ने अन्य व्यक्तियों अर्थात् देवरिया बाबा, अटल बिहारी वाजपेयी, बद्री प्रसाद तोशनीवाल, मोरपंत पिंगले, ओंकार भावे, प्रो. राजेन्द्र सिंह, गुर्जन सिंह, जी.एम. लोढा, चम्पत राय के साथ -साथ दोषियों की सूची दी है।

> **टिप्पणी:** ***परंतु आयोग ने कभी भी इन लोगों को अपना बचाव करने के लिए नहीं बुलाया। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई साक्ष्य या प्रमाण होता है तो आयोग पर कानूनी और नैतिक बाध्यता रहती है कि वह अपना केस प्रस्तुत करे और अपना बचाव करे। हाई कोर्ट का जज होने के नाते यह बात उन्हें मालूम होनी चाहिए थी कि विधि शास्त्र के अंतर्गत न्याय की यह प्राथमिक आवश्यकता होती है और किसी को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसे निर्दोष साबित करने का अवसर न दिया जाए।***

इस सचूी में आयोग ने श्री प्रवीण तोगड़िया का नाम भी दिया है। 6 दिसंबर को या उससे पहले भी तोगड़िया की गतिविधियों का दायरा केवल गुजरात तक सीमित था। अत: न तो वह उस दिन मंच पर थे और न ही वे वक्ता थे।

पृष्ठ 931, पैरा 162.2 में आयोग ने कहा है: ''ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मीडिया पूर्वाग्रहरहित हो या स्वतंत्र हो अथवा वह किसी का पक्ष न ले।''

> **टिप्पणी:** ***क्या कहीं भी विश्व में किसी प्रकार की सरकार ने आज तक यह कहा है कि मीडिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष न्याय संगत और सोद्देश्य नहीं होना चाहिए? आयोग की***

उक्त टिप्पणी ने इस ''चौथे साम्राज्य'' को यह बढ़ावा देने का प्रयास किया है कि यह चौथा साम्राज्य अनैतिक, गैर जिम्मेदार बने और ईमानदार न रहे। ''

पृष्ठ 935, पैरा सं. 163.2 में आयोग ने कहा है ''उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट के दुराग्रही रवैये, राज्यपाल के कड़े दृष्टिकोण, सुप्रीम कोर्ट के प्रेक्षक की विवेकहीनता और गैर जिम्मेदारी और सुप्रीम कोर्ट की अल्पदृष्टि स्वयं में विचित्र और दुविधापूर्ण कथन हैं, अत: उनकी गहराई में मुझे नहीं जाना है।''

टिप्पणी: ***हाई कोर्ट का एक जज जो आयोग का चेयरमैन है, उसके द्वारा इस प्रकार की बेहद गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी अवांछनीय है। ऐसी अवांछनीय टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के समान है। मजे की बात यह भी है कि आयोग ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को बुलाया तक नहीं। फिर भी उसने राज्यपाल के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की। अयोग यह बात भी समझ नहीं पाया कि वह एक हाई कोर्ट के जज रहे हैं। और हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है - सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होती है।***

षड्यंत्र

पृष्ठ 917, पैरा 158.9 पर आयोग ने कहा है- ''.... साक्ष्यों के पूर्वानुमान से यही निष्कर्ष निकलता है कि कार सेवकों का इकट्ठा होना और अयोध्या तथा फैजाबाद में उनकी भीड़ न तो अचानक हुई और न ही स्वैच्छिक थी। यह भलीभांति आयोजित और सुनियोजित थी...''

परंतु **अध्याय 1 पृष्ठ सं. 15, पैरा 7.4** में आयोग ने कहा है -''किसी भी (मुस्लिम संगठनों के) काउंसिलों ने आयोग को षड्यंत्र या पूर्व-आयोजन अथवा संयुक्त रूप से मिलकर काम करने वाला कोई साक्ष्य या सूचना पेश नहीं की।

इसी अध्याय के पैरा 7.5 में आयोग ने आगे कहा है....''एक समुदाय या अन्य मुस्लिमों की ओर से कोई प्रभावी भागीदारी नहीं थी। आयोग के समक्ष मुस्लिमों की ओर से किसी वैकल्पिक 'थ्योरी' या कोई अन्य 'वर्जन' पेश नहीं किया गया.....''

इसी पैरा 7.5 में कहा है...'' एक खास समुदाय के नेता माने जाने वाले किसी जिम्मेदार शिक्षित नागरिक अथवा ऐसे लोगों ने जिन्होंने ढांचा ध्वस्त होने से पूर्व बातचीत में भाग लिया, किसी प्रकार की सामग्री अथवा तथ्यों को आयोग के सामने पेश नहीं किया।

अध्याय 10 के पृष्ठ 775, पैरा 130.5 में आयोग ने कहा है ''....इस प्रकार के षड्यंत्र में कोई दस्तावेज अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य संभव नहीं है और न ही ध्वस्त होने की किसी योजना का बेदाग और पक्का साक्ष्य संभव है।''

पृष्ठ 782, पैरा 130.24 पर आयोग ने कहा है ...''गृह मंत्री गोडबोले ने कहा है कि योजना संबंधी कोई सूचना नहीं है और इसलिए यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि ढांचा ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस या भाजपा का षड्यंत्र था....''

टिप्पणी: ***तब, आयोग किसी आधार, साक्ष्य ओर किस औचित्य पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह भली-भांति आयोजित और सुनिश्चित था। साथ ही साथ, इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि 6 दिसंबंर 1992 को तथाकथित ढांचे के ध्वस्त होने के बाद आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल नामक तीन संगठनों का विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अंतर्गत 10 दिसंबर 1992 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अधिनियम के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस पी.के.बाहरी की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 1992 को एक ट्राइब्यूनल (अधिकरण) का गठन किया गया था। एक संवैधानिक निकाय होने के कारण यथावत विचारण के बाद इस अधिकरण ने 18 जून 1993 को अपना निर्णय दिया जिसे सरकारी राजपत्र (भारत राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड -II) में प्रकाशित किया गया।***

इस राजपत्र के **पृष्ठ 71** पर अधिकरण का निर्णय था :: यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि पीडबल्यू-7 ने साफ तौर स्वीकार किया है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि इन संगठनों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त करने के लिए कोई पूर्व योजना तैयार की थी। फिर पी.डबल्यू-7 ने स्वीकार भी किया कि 6 दिसंबर 1992 के दिन हुई घटना की वीडियो रिकार्डिंग आई बी ने तैयार की थी...''

जस्टिस बाहरी के इसी निर्णय के पृष्ठ 72 पर कहा गया है. ..'' यहां तक कि स्वयं केंद्र सरकार ने जो श्वेत पत्र तैयार किया, उसमें भी इन संगठनों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा विवादित ढांचे को ध्वस्त करने की पूर्व योजना की थ्योरी का समर्थन नहीं होता है.....''

यहां यह उल्लेखनीय है कि पी.डबल्यू-7 श्री पाधी था, जो आई बी का एक बड़ा वरिष्ठ अधिकारी था, और उसे भारत सरकार ने बाहरी ट्राइब्युनल के समक्ष अपना केस प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार ने अधिकृत किया था।

उपर्युक्त तथ्यों से यह बात साफ तौर पर सिद्ध हो जाती है कि आयोग का मन पूर्वाग्रही था और उसने पहले ही विचार बना कर इस रिपोर्ट को लिखा है। जस्टिस बाहरी दिल्ली हाई कोर्ट के वर्तमान जज

थे और जिस ट्राइब्युनल के वह अध्यक्ष बने थे, वह न्यायिक निकाय था, जिसका निर्णय मानना सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। दूसरी तरफ लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और यह केवल सिफारिशी प्रकार की है जिसे सरकार माने या न माने।

लगता है कि आयोग उसी रुग्णता से ग्रसित है जिसका उल्लेख अध्याय 1 (प्रस्तावना) **पैरा 1.1 में पृष्ठ 1** पर हुआ है....'' कुछ लोगों के लिए शक्ति प्राप्त करने को लालच सिर चढ़ कर बोलता है। शक्ति अर्जन का सामान्य साधन राजनीति के रास्ते से आता है। स्वार्थ साधने और शक्ति अर्जन के लिए राजनीति के प्रयोग की इच्छा और तलाश हमेशा रहती है - राजनीतिक वांछनीय परिणाम के लिए चाहे जैसे भी हो, कुछ भी किया जा सकता है। शक्ति अर्जन की प्रक्रिया में किसी इंस्टीट्यूशन, राष्ट्र, व्यक्ति या समग्र रूप से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चिंता नहीं रहती है। जीवन स्वयंमेव राजनीति का शिकार हो जाता है उद्देश्य अथवा बौद्धिक ईमानदारी या लॉजिक सब कुछ इस प्रक्रिया में गुम हो जाते हैं....''

> **टिप्पणी:** ***वस्तुतः आयोग के शब्द ही स्वयं उस पर पूरी तरह से लागू होते हैं। सरकार के आदेशों तथा इच्छाओं के बावजूद भी आयोग ने कभी भी लखनऊ से अपना कामकाज नहीं किया। वह दिल्ली में शक्ति अर्जन की राजनीति और अपना प्रयोजन सिद्ध करने के उद्देश्य की इच्छा और तलाश करने की चाह में बैठा रहा।''***

राम जन्मभूमि का समर्थन

दुर्घटनावश अथवा इरादे रखकर, लगता है कि आयोग ने कुछ असावधानी बरतते हुए ऐसी टिप्पणियां कर दी हैं जिनका न तो खंडन किया जा सकता है और न ही प्रतिवाद किया जा सकता है। आयोग ने अंत में आकर रामजन्मभूमि केस का समर्थन ही किया है:

अध्याय 2 में (अयोध्या और इसका भूगोल) पृष्ठ 23, पैरा 9.1 में रिपोर्ट में कहा है: ''हिंदू परंपराओं में अयोध्या को हिंदू लोग भगवान राम को जन्म स्थान मानते हैं और इसलिए इसे पावन और ऐतिहासिक नगर माना जाता है।''

पैरा 9.2

''प्राचीन अयोध्या पारंपरिक रूप से हिंदू जीवन, संस्कृति का निष्कर्ष तथा बहुधर्मी समाज के सह-अस्तित्व का रूपांतरण माना जाता है। यह शांतिप्रिय स्थल था जहां नियमित रूप से लोगों, तीर्थयात्रियों, साधुओं और संतों, मुनियों, यात्रियों, पर्यटकों का जमघट रहता है।''

पैरा 9.3

''अयोध्या विशाला, खोसला या महाकौशल, इक्ष्वाकु, रामपुरी, राम जन्मभूमि को नाम से भी बहुत प्रसिद्ध रही।''

पैरा 9.4

''रामभक्तों या जिन्हें हिंदू धर्म में रामानंदियों का नाम दिया जाता है, उनके लिए अयोध्या का विशेष ओर विशिष्ट महत्व है। यह स्थान हिंदुओं, मुनियों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों, साधुओं और संतों के लिए, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, किसी धर्म में आस्था हो, अपूर्व तीर्थस्थल रहा है।''

पैरा 9.5

''यह स्थल राम की जन्मभूमि के कारण भावात्मक मुद्दा बन गया है क्योंकि राम की गाथा में संस्कृति का हर पहलू विराजमान है, जो विगत को वर्तमान तथा भविष्य से जोड़ता है। कितने ही शासकों के बाद भी शताब्दियों से इस नगर में धार्मिक भावप्रणता का संचार बना रहा है।''

पृष्ठ 25, पैरा 10.3

''अयोध्या के पूर्व में फैजाबाद है जहां कि जनसंख्या लगभग 2,10,000 है। यहां बहुत से मंदिर हैं जो अधिकांशतः हिंदू देवता विष्णु के प्रति समर्पित हैं।''

पृष्ठ 26, पैरा 10.10

''वर्तमान में इस नगर में बहुधर्मावलंबियों का निवास है जिसमे मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन आदि बसते हैं परंतु हिंदुओं की संख्या काफी अधिक है। सभी मंदिरों के द्वार सभी जातियों के लोगों के लिए खुले रहते हैं।

पृष्ठ 29 पैरा 12.1

''यहां एक बड़े क्षेत्र में अनेकों मन्दिर, मस्जिद, तीर्थ स्थल, गुम्बद, उद्यान और अन्य धार्मिक स्मारक फैले हुए हैं, बल्कि आलंकारिक रूप से कहा जाए तो कह सकते हैं कि अयोध्या का हर घर एक मन्दिर होता है।

पृष्ठ 29, पैरा 12.2

''यहां प्रमुख मंदिरों में संकट मोचन मंदिर, शक्ति गोपाल मंदिर, शेषावतार मंदिर, वेद मंदिर, मणिराम की छावनी, हनुमान गढ़ी, प्रीति के ठाकुर, कनक भवन, रंग महल, आनंद भवन और कौशल्या भवन.... शामिल हैं।''

पृष्ठ 32, पैरा 12.12

''राम कथा कुंज, अयोध्या शहर या राम जन्मभूमि परिसर या रामकथा कुंज या विवादित ढांचे की स्थलाकृति या तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। एन.सी. पाधी ने इन तथ्यों को अपने स्टेटमेंट में बिना किसी विसंगति के परिपुष्ट किया है।''

अध्याय 4 (घटनाक्रम)

पृष्ठ 61, पैरा 18.6''

''1528 में मुगल बादशाह बाबर ने कमांडर मीर बाकी को अयोध्या में मस्जिद निर्माण का आदेश दिया। वर्तमान आंदोलन के प्रचारकों का दावा है कि राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त करने के

बाद मीर बाकी ने मस्जिद अर्थात् 'विवादित ढांचे' का निर्माण किया।''

पृष्ठ 61, पैरा 18.8

''सामान्यत: हिंदू भक्तों द्वारा राम चबूतरा पर स्थापित मूर्तियों की पूजा काफी समय से की जाती रही है। 1949 में विवादित ढांचे में मूर्तियों के स्थानांतरण से पूर्व मुस्लिमों ने, जिसका 'प्रतिदावा' किया जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं की थी।

पृष्ठ 62, पैरा 18.9

''किंतु इतिहास में इस प्रश्न के बारे में आयोग ने जांच नहीं की है कि मस्जिद ठीक किस स्थान पर बनी थी और न इस पर बातचीत हुई कि वह मंदिर के स्थान पर निर्मित हुई थी, क्योंकि यह आयोग के दायरे के बाहर की बात है।

टिप्पणी: ***इतना कहना पर्याप्त है कि मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण 1528 में कराया, जो अब एक स्वीकार्य तथ्य बन चुका है।***

पृष्ठ 63, पैरा 18.13

''हालांकि किसी न्यायपालिका या प्रशासन द्वारा विवादित ढांचे पर जाने या वहां नमाज पढ़ने पर मुस्लिमों पर कोई प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं रहा है, फिर भी 1934 से विवादित ढांचे पर नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। विवादित ढांचे के अंदर न तो कोई जुलूस निकाला गया और न ही वहां कोई कब्र खोदी गई।''

टिप्पणी: ***इससे स्पष्ट हो जाता है कि आयोग ने अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि कर दी है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थल पर हुआ। अयोध्या का अस्तित्व तो चिरंतर काल से बना हुआ है जबकि बाबर तो बहुत बाद में आया था और मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ।***

पृष्ठ 88, पैरा 26.2

''यह उल्लेखनीय है कि अयोध्या से कोई मुस्लिम समुदाय का सदस्य बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी या किसी अन्य कमेटी का सदस्य नहीं था, जिसने कभी भी विवादित ढांचे के ताले खुलवाने का विरोध नहीं किया। हैदराबाद के एक सांसद सुलतान शहाबुद्दीन ओवेसी ने कुछ अन्य लोगों के साथ ताले खोलने को चुनौती दी थी – वे ही पहली बार हिंदू संगठनों के विरोधी बने।''

पृष्ठ 89, पैरा 26.4 में कहा है

''मुस्लिमों ने पहली जनवरी से 30 मार्च 1987 तक विभिन्न प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन किया। गणराज्य दिवस का बायकाट करने (जिसे बाद में वापस ले लिया गया) का आह्वान करने के अलावा बंद का आह्वान किया गया और दिल्ली में वोट क्लब पर सार्वजनिक रैली निकाली गई। जामा मस्जिद के शाही इमाम और सुलेमान सेठ आदि जैसी कुछ हस्तियों ने सार्वजनिक रूप से हिंसा की धमकियां दी।''

टिप्पणी: ***फिर भी आयोग किसी व्यक्ति पर विपरीत टिप्पणी नहीं कर पाया है।***

आयोग ने स्वयं अपना खंडन किया

पैरा 158.3 में आयोग ने कहा है...'' यह कभी आंदोलन नहीं बन सका...''

जबकि **पैरा 158.9 और 159.10** में आयोग ने खुद ही अपनी बात का ''....आंदोलन की संपूर्ण प्रक्रिया'' और ''.... आंदोलन के नेताओं ...'' जैसी बातें कह कर खुद ही अपनी बात का खंडन किया है।

पृष्ठ 15, पैरा 7.3

''अपने घटकों की ओर से मुस्लिम समुदाय के प्रमुख सदस्यों ने दावा किया है कि ढांचे के ध्वस्त होने से उनकी भावनाओं और संवेदनाओं पर बुरा असर पड़ा है। उनका कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को कष्ट पहुंचा है। प्रारंभ में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, वक्फ बोर्ड, अन्य मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों की विभिन्न परिषदों (वकील आयोग के सामने पेश हुए और आयोग को नियम बनाने में सहयोग किया।

पृष्ठ 15, पैरा 7.4

''इसके बाद, आखिरी चरणों में अर्थात् लगभग एक दशक के बाद मुस्लिम बोर्ड के कौंसिलों ने कार्यवाही में भाग लिया। आयोग बनने के पांच वर्ष बाद मुश्ताक अहमद आयोग के सामने आने लगे, वे आयोग के सामने मुस्लिम लॉ बोर्ड में शामिल और एसोसिएट करने से पहले की बात है। आजाद मखमल ने शहाबुद्दीन का प्रतिनिधि बनकर जांच में कोई खास योगदान नहीं किया। किंतु मुश्ताक अहमद ने जरूर बीच बीच में कुछ गवाहों का क्रास-एक्जामिन किया। आयोग की जांच के एक दशक बाद कोई एक साहब बहाद-उल-बाकी' ने एआईएमएल का प्रतिनिधि बन कर पेश हुए, उनके साथ वरिष्ठ कौंसिल युसुफ मुच्छला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया और कुछ प्रमुख गवाहों का क्रास-एक्जामिन किया जिसमें आंशिक रूप से एल.के. मडजानी शामिल हैं। किसी भी कौंसिल ने आयोग को षड्यंत्र या पूर्व योजना या संयुक्त रूप से काम करने के बारे में कोई साक्ष्य या सूचना नहीं दी। जांच के आखिर में एक एडवोकेट ओ.पी. शर्मा भी उतने ही बेकार दिखाई पड़े।''

पृष्ठ 17, पैरा 8.3 में आयोग ने कहा है:

''विवादित ढांचे का विवाद उतना ही पुराना है जितना इतिहास। अनगिनत पुस्तकों के लेख और शोध पत्र, आयोग की कार्यवाही या आयोग के रिकार्ड में रखे गए। संपत्ति के हक का निपटारा कोई भी सिविल अदालत कभी नहीं कर पाई, जो अब भी माननीय हाईकोर्ट में पैंडिंग है। समय-समय पर उस समय के शासक ने लोगों को अपने मजहब के अनुसार उपासना की इजाजत देते रहे।'' ■

महंगाई को रोकने में केन्द्र पूरी तरह विफल : डा. जोशी

देश में महंगाई वर्ष 2006 से तेजी से बढ़नी शुरू हुई और वर्ष 2007 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से महंगाई बढ़ रही है। नई सरकार बनने पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और बजट भाषण में महंगाई पर नियंत्रण के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। संप्रग सरकार अपने पहले सौ दिनों के कार्यकाल में भी महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पायी। सौ दिनों के अंदर महंगाई शत प्रतिशत बढ़ी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों से कहा कि सितम्बर, 2010 तक व्यापारियों के लिए चीनी, दाल, चावल और खाद्य तेलों के भंडार को विनियमित करें। इसका मतलब यह है कि सरकार को मालूम था कि 2010 तक महंगाई कहां तक पहुंचने वाली है।

वित्तमंत्री ने भी कहा कि उन्हें महंगाई में वृद्धि का अंदाजा था लेकिन महंगाई, मांग और आपूर्ति के अंतर की तुलना में मार्केट एक्सपैक्टेान के कारण अधिक है। किंतु महंगाई सरकार की प्राथमिकता चिंता नहीं है। सरकार कहती है कि महंगाई का कारण पिछले दो वर्षों में पड़ा सूखा है लेकिन 2003 में राजग सरकार के दौरान सबसे भीषण सूखा पड़ा था और तब खाद्यान्नों के मूल्यों में 3–4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल मुद्रास्फीति भी कम थी जिसके कारण सूखे का प्रभाव गरीब लोगों पर नहीं पड़ा। मुझे चिंता है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण कैसे करेगी। सरकार कहती है कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा किंतु हमें महंगाई के घटने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री और कृषि मंत्री कहते हैं कि महंगाई पर नियंत्रण उनके हाथ में नहीं है। दाल का उत्पादन कम हो रहा है और मांग तथा आपूर्ति में अंतर है।

हमारे देश में गरीब आदमी को प्रोटीन देने का सबसे बड़ा साधन दाल है। लेकिन हम उसका उत्पादन कम करते हैं और उसे आयात करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यातक देशों की सहायता करते हैं। आप किसी भी फसल को ले लें – चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली, गन्ना आदि। भारत में उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। हम अपनी उत्पादन क्षमता को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? और यह स्थिति कोई आज ही उत्पन्न नहीं हुई है। ऐसे में आप कैसे प्राइस कंट्रोल करेंगे।

एक बात मुझे आपसे मोटे अनाज के बारे में कहनी है। आज मोटे अनाज की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन यह मोटा अनाज हर तरह से न्यूट्रीशनल है और इसमें कम पानी लगता है तथा आसानी से पैदा हो सकता है। दाल के बारे में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसान आज दाल का उत्पादन नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी जानकारी ली कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी प्राइसिंग पॉलिसी गलत है।

बेलगाम बढ़ती महंगाई पर लोकसभा में हुई बहस के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा दिए गए भाषण का सारांश

मुझे लगता है कि सरकार शायद महंगाई को ऊंचे स्तर पर दिखाकर जीडीपी को बढ़ा हुआ दिखाना चाहती है। अगर ऐसा है तो यह बहुत गलत है।

जहां तक चीनी की बात है, चीनी के स्टॉक में कमी नहीं है। सरकार की वितरण प्रणाली में कमी है। देश की 65 प्रतिशत चीनी उद्योगों व कारोबारियों के हिस्से में आती है। आम आदमी के हिस्से में सिर्फ 35 प्रतिशत आती है। सरकार को लेवी शुगर 25 से 30 प्रतिशत कर देना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि औद्योगिक कृषि व खाद्यान्न के वैश्विक व्यापार से भूख बढ़ रही है।

वैश्वीकरण के माध्यम से जंक और प्रोसेसिड फूड को देश पर लादा जा रहा है। अगर हमारा देश अनाज के मामले में आयात पर निर्भर रहेगा तो देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ जायेगी। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि हिम्मत करके खड़े हो जाइए और सरकार से कहिए कि इन गलत नीतियों को बदलिए।

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सरकार पर दबाव डालेंगे कि आजकल जो नीतियां ग्लोबइलाइजेशन और एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन की हैं, उन्हें बदलिए और देश की सही कृषि परंपरा को जागृत करें। ■

पर्यावरण मंत्री की कार्बन उत्सर्जन की घोषणा गहन चिंता का विषय: अरुण जेटली

राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली द्वारा जारी वक्तव्य

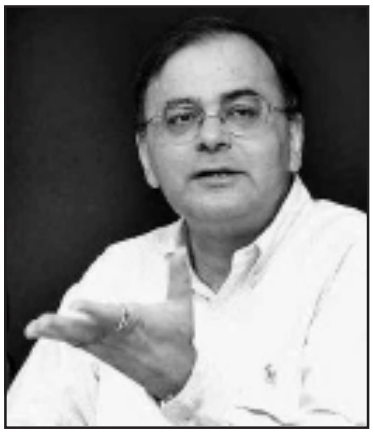

तलवायु परिवर्तन के सम्बंध में 3.12.2009 को लोकसभा में बहस का उत्तर देते समय पर्यावरण मंत्री श्री जयराम रमेश ने कहा कि भारत ने 2005 की तुलना में 2020 तक अपनी कार्बन उर्त्सजन को 20–25 प्रतिशत तक कम करने की एक तरफा घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी को पर्यावरण मंत्री की इस पहुंच के बारे में गम्भीर आपत्ति है।

निम्नलिखित बातों के अलावा इसका आधार यह है:

- लगता है कि मंत्री महोदय कुछ राष्ट्रों की एकतरफा बैंड बैगन असर में बह गए। चीन की प्रतिव्यक्ति प्रदूषण दर कहीं अधिक हैं। अतः भारत और चीन– इन दोनों राष्ट्रों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स आधार द्रव्य एक समान नहीं है। विकसित राष्ट्रों के पहुंच के बारे जानकारी प्राप्त किए बिना किसी भी बहुपक्षीय बातचीत की पूर्वसंध्या पर इस प्रकार की एकतरफा घोषणा करना निहायत ही गलत रणनीति कहलाई जाएगी। डब्ल्यूटीओ सहित अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत के समय भारत का यह अनुभव रहा है कि जब कभी भी बहुपक्षीय वार्तालाप से पहले कोई एकतरफा रियायत की घोषणा की जाती है तो वही चीज भारत की बातचीत का शुरूआती बिन्दु बन जाती है। श्री जयराम रमेश द्वारा की गई एकतरफा कटौती की घोषणा से भारत की बातचीत की स्थिति बहुत कमजोर पड़ गई है।
- मंत्री महोदय की घोषणा थी कि ''भारत कभी भी अपने उर्त्सजन की कमी के प्रति किसी कानूनी बाध्यकारी प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं करेगा, जो उस पूर्व में कही गई स्थिति से एकदम भटक गई है। क्या यह चूक जानबूझकर की गई है ताकि विकसित देश भारत को, यदि प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबद्ध किया जा सके।
- बार–बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत की प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन 'इतिहास का हादसा' अथवा ''भारत द्वारा अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाना रहा है'', जिससे वास्तव में पर्यावरण मंत्री ने ''प्रति व्यक्ति सिद्धांत'' के विकसित देशों के तर्कों को ही दोहराया है। भारत को स्वतंत्रता से पूर्व औद्योगीकरण नहीं करने दिया गया और इसका यह भी कारण रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारी गलत नीतियां चलती रहीं। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि (1) भारत की प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन (विकसित देशों से) अधिक नहीं बढ़ेगा और (2) विकसित देशों से प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ''कम रहेगा'' तो उनकी यह बात एकदम गलत है। क्या भारत कभी भी किसी भी बाध्यकारी सीमा की स्थिति में होगा कि भारत का प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन निश्चित रूप से विकसित देशों से कम रहेगा? क्या पर्यावरण मानते हैं कि विकसित देशों के भविष्य में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अधिकारों का निर्णय लेते समय उनके जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनी रहेगी? क्या विकसित देशों की तरफ से उतनी ही कटौती कमी करने की प्रतिबद्धता के बिना एकतरफा कटौती की घोषणा से ''समान प्रति व्यक्ति सिद्धांत'' को नकारा नहीं गया है जिसके बारे में पिछले कई वर्षों से भारत प्रचार करता आया है?
- पर्यावरण मंत्री ने हमारे असमर्थित घरेलू कार्यों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्षण के संदर्भ में लचीला होने की बात कही है। इससे पूर्व 'मिंट' के एक इंटरव्यू में उन्होंने डब्ल्यूटीओ, व्यापार समीक्षा नीति की तरफ अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श करने की बात कही थी। क्या भारत जलवायु परिवर्तन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत एकतरफा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श अथवा सत्यापन कराने को राजी होगा?
- पर्यावरण मंत्री ने अधिकांशतः भारत के कोयला डिपाजिटो, आयरन ओर डिपाजिटों के वन क्षेत्रों में होने की बात कही है और कहा है कि इससे खनन के कार्य समाप्त हो जाएंगे। क्या उनका मतलब यह है कि भारत केवल इसलिए औद्योगीकरण नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बहुमूल्य संसाधन वन क्षेत्रों में हैं? क्या वह उन बातों की उपेक्षा कर देंगे कि 1980 से केन्द्रीय सरकार ने विशेष मामलों में निजी पार्टियों को भी वन क्षेत्रों में खनन की अनुमति दी थी और तब भी ईकोलाजी (परिस्थितिकी) तथा पर्यावरण के सह–अस्तित्व की चिंता बनी हुई थी?
- भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण मंत्री भारत के उसी पुराने 'कुछ न करने' वाले दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करना

चाहती है। उनका पहले का दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना करना चाहती है। उनका पहले का दृष्टिकोण था कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है और हमारा अधिकार बनता है कि विकसित देशों के समान ही उत्सर्जन कर सकते हैं, जो विगत में पर्यावरण संरक्षण के बारे में पिछली सरकारों के कार्यक्रमों का उपहास उड़ाने वाला है। मंत्री महोदय ने इस बात की उपेक्षा की है कि यही 'कुछ न करने' का दृष्टिकोण है जिसके कारण 1990–2005 के बीच उत्सर्जन की कमी 17.6 प्रतिशत तक जा पहुंची। कितने ऐसे विकसित देश हैं जिन्होंने कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का निर्वाह किया है और जिन्होंने अपनी उत्सर्जन कमी करने के लिए वास्तव में उपाए किए हैं और उन्होंने इस अवधि में भारत के बराबर सफलता प्राप्त की है।

– मंत्री महोदय ने भारत की परिवर्तन सम्बंधी स्थिति के निर्माण में योजना आयोग तथा अन्य स्रोतों से जुटाए गए साधनों का उल्लेख किया है। क्या वे योजना आयोग के कार्यों तथा 'अन्य साधनों' से जुटाए गए साधनों के बारे में देश को बताना चाहेंगे? क्या वह सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की ही बात कर रहे हैं, जिनका विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ही मात्र रूचि रही है?

– क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि उनके द्वारा जिन विशिष्ट उपायों के कार्यान्वयन की बात कही गई है, उनसे सरकार और नागरिकों को कितनी कीमत चुकानी होगी जिससे हमारी ऊर्जा तीव्रता में कमी आएगी। मंत्री जी ने ''ईक्विटेबल ग्लोबल एग्रीमेंट'' के संदर्भ में घोषित लक्ष्यों से भी कहीं अधिक भारत द्वारा और अन्य उपायों का उल्लेख किया है। यह 'ईक्विटेबल ग्लोबल एग्रीमेंट' क्या है और इसके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? क्या विकसित देशों द्वारा 1990 के स्तर से 2020 तक कम से कम 25–40 प्रतिशत की कमी करने पर भारत की रूचि है, जो इस एग्रीमेंट का हिस्सा होगी? क्या भारत क्योटो प्रोटोकाल को कम करने कम आंकने पुनः स्थापित करने का विधि–सम्मत प्रतिरोध करेगा और भारत क्योटो प्रोटोकाल के अन्तर्गत विकसित देशों द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन को जारी रखने पर जोर दे सकेगा? क्या इस प्रस्ताव में विकसित देशों के लिए विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी हस्तांतरण करना बाध्यकारी होगा? क्या मंत्री महोदय यह विश्वास दिला सकेंगे कि जलवायु परिवर्तन से विकासशील देशों के आर्थिक विकास में कोई बाधा नहीं आएगी? क्या वह 'ईक्विटेबल ग्लोबल एग्रीमेंट'' में विकसित और विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अधिकारों के बीच किसी स्थायी विभेदक के निर्माण के किसी भी प्रयास का प्रतिरोध करेंगे?

– हाल की मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका में वैज्ञानिक स्थापनाओं ने जलवायु परिवर्तन सम्बंधी आंकड़ों में भारी हेरा–फेरी की है, जो गम्भीर चिंता का विषय है। यह और भी गम्भीर बात है कि जलवायु परिवर्तन पर 'इन्टर गवर्नमेंटल पैनल' के सभी निष्कर्षों का आधार यही डाटा होंगे। क्या मंत्री महोदय ने अपरिपक्व एकतरफा प्रतिबद्धता की घोषणा से पूर्व अपनी टीम द्वारा इस तरह की खबरों पर ध्यान दिया है? ■

मध्य प्रदेश

विकास किस कीमत पर हो, तय करें : शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल गैस पीड़ितों की वेदना को कम करने के लिए प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। वर्ष 1984 में हुई इस भयावह त्रासदी के जख्म अभी भरे नहीं हैं। इस हादसे की स्मृति आज भी दहला देती है और वह घटनाक्रम याद कर कलेजा कांप जाता है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों में उद्योगों में सुरक्षा संबंधी नियमों एवं प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में ऐसी लापरवाही पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। विकास किसकी कीमत और कितनी कीमत पर हो, यह तय होना चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान भोपाल के बरकतउल्ला भवन में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। भोपाल गैस त्रासदी की 25वीं बरसी पर हुई इस श्रद्धांजलि सभा में नगरीय प्रशासन विकास और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी, विधायक आरिफ अकील, मुख्यसचिव राकेश साहनी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारी, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लाखों लोग अपनी तकलीफों के साथ जीवित हैं। राज्य सरकार ने गैस त्रासदी से पीड़ित एवं प्रभावित लोगों के सामाजिक, आर्थिक और चिकित्सकीय पुनर्वास के लिये लगातार प्रयास किये हैं। अभी भी ये प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने गैस प्रभावितों की अधिकाधिक सहायता के लिये भारत सरकार से भी आग्रह किया है। गैस त्रासदी के लिये दोषी लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अंतिम फैसला होने तक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में किसी भी तरह का निर्माण न हो। चौहान ने कहा कि फिर ऐसी त्रासदी न हो, इस दिशा में प्रत्येक स्तर पर जागरूक रहकर प्रयास भी होना चाहिए। ■

स्थिर सरकार के लिए वोट

& çHkkr >k

>kरखण्ड एक स्थिर सरकार की बाट जोह रहा है। 'स्थिर सरकार' समय की मांग है। झारखण्ड बीते वर्षों की त्रासदी, अब और नहीं देखना चाहता। सब कुछ होने के बाद भी यदि कोई भूखा सोये तो निश्चित ही उसका भाग्य खराब कहा जा सकता है। लोकतंत्र में जनता भाग्य विधाता है और इस समय झारखण्ड का भाग्य जनता–जनार्दन के हाथों में है। चुनावी समय का प्रथम चरण 26 विधानसभाओं के निर्वाचन के साथ संपन्न हुआ। हिंसा की आशंका व्यक्त करना अनुचित था, असंगत तो कहा ही नहीं जा सकता। फिर भी 25 नवम्बर ने किसी की जान नहीं ली। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था और चुनाव संपन्न कराने का दायित्व है। शेष चार चरणों में भी अहिंसा का बसेरा रहे, रक्तपात नहीं हो, यही सभी की कामना है।

मेरा भारत से नाता है। मैं भारतीय हूं। इस नाते झारखण्ड से उतना नाता अवश्य है, जितना एक भारतीय नागरिक का होना चाहिए। एक भारतीय के नाते जब विचार करता हूं तो लगता है कि 'झारखण्ड' विकास से इतनी दूर क्यों है, यहां प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के अलावा अनेक ऐसे स्रोत हैं, जिन पर बहुत काम किया जा सकता है।

आखिर काम क्यों नहीं होता? समझने का प्रयास किया तो समझ में आया कि नीचे से ऊपर तक व्यवस्था में, समाज और राजनीति में स्थिरता का दौर कभी नहीं आया, अस्थिर मानसिकता से भला कैसे काम हो सकता था। मनुष्य जब अस्थिर रहता है तो स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षित महसूस करता है, तो मन सदैव स्वयं को सुरक्षित रखने में लगा रहता है।

एक नजर झारखण्ड की राजनीति पर डाले तो समझ में आता है कि अब तक जितनी सरकारें बनी और उन सरकारों में जो भी मुख्यमंत्री बने वे सभी स्वयं में असुरक्षित रहे। जब झारखण्ड अस्तित्व में आया तो श्री बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं था, चिंतित थे, कुछ विधायकों का समर्थन लिया और चल पड़े। नई सरकार नया उत्साह पर प्रारम्भ से ही लंगड़ी लग गयी थी। ग्रहण पीछा नहीं छोड़ रहा था। उस समय के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी नौ साल में अपनी यह दशा कर लेंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। मजेदार मामला है कि जिन लोगों ने बाबूलाल मरांडी को उस समय हटाने की मुहिम चलाई थी, वे आज उनके साथ गलबइयां कर रहे हैं।

> ***अंततः अर्जुन मुंडा की सरकार गिराई गयी। राष्ट्रपति शासन लगा और कुछ दिनों बाद एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को कांग्रेस, राजद और झामुमो ने समर्थन दिया। श्री मधु कोड़ा बिना आधार के मुख्यमंत्री बन गये। झारखण्ड का भाग्य फूट ही गया। एक विधायक, वह भी निर्दलीय को यूपीए के घटकों ने सिर्फ इसलिए समर्थन दिया कि भाजपा पुनः न आये और कठपुतली इशारे पर नाचे। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में और एक निर्दलीय, कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर और कुछ दलों का समर्थन लेकर झारखण्ड का मुख्यमंत्री बन गया।***

श्री मरांडी 28 महीने मुख्यमंत्री रहे, उनकी छवि बनी। वे झारखण्ड आंदोलन से जुड़े थे। वे विश्व हिन्दू परिषद के पूर्णकालिक रहे। उनको संगठन ने नेता गढ़ने में बहुत भूमिका निभाई, मरांडी जी न समझे और न सम्हले। पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया, नेता, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष सब कुछ। उसके बाद बने श्री अर्जुन मुण्डा। भाजपा ने सम्मान किया जनजातीय चिंतन का। मुंडा जी ने शपथ ली। कम समय में ज्यादा काम करने का प्रयास किया। वे भी अपने कार्यकाल में उन लोगों से त्रस्त रहे, जो उनके साथ सरकार में थे। उन्होंने जैसे–तैसे सन् 2003–05 तक सरकार चलाई। चुनाव घोषित हुआ। भाजपा को तीस सीटें मिली। कांग्रेस को मात्र नौ और राजद को छह। भाजपा-जद(यू)36 (छत्तीस सीटें) हो गई। निर्दलियों की लॉटरी लगी। वे चांदी की गद्दी बिछाने और सोने की तकिया पर सोने की जुगाड़ में लग गए। इधर तत्कालीन राज्यपाल ने सरकार बनाने से पहले राज्य में राजनैतिक अस्थिरता पैदा कर दी। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया, उल्टे झामुमो के सुप्रीमो गुरूजी को बुलाकर संविधान को धता बता दिया। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति भवन के समक्ष परेड किया। न्यायालय का हस्तक्षेप, संवैधानिक कार्यों के लिए। गुरूजी विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके। अंततः अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। आखिर! कांग्रेस भाजपा को कब तक सरकार में देखती। उसे श्री अर्जुन मुण्डा की सरकार तनिक भी नहीं सुहा रही थी। श्री अर्जुन मुण्डा को कांग्रेस की केन्द्र की सरकार ने सदैव गिराने की कोशिश की। दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण स्वयं की सुरक्षा के प्रति भी सदैव सचेत रहते थे। वे क्या करते। यहां देखें जब मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी तो वह जनता की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकता है।

अंततः अर्जुन मुंडा की सरकार

गिराई गयी। राष्ट्रपति शासन लगा और कुछ दिनों बाद एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को कांग्रेस, राजद और झामुमो ने समर्थन दिया। श्री मधु कोड़ा बिना आधार के मुख्यमंत्री बन गये। झारखण्ड का भाग्य फूट ही गया। एक विधायक, वह भी निर्दलीय को यूपीए के घटकों ने सिर्फ इसलिए समर्थन दिया कि भाजपा पुनः न आये और कठपुतली इशारे पर नाचे। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में और एक निर्दलीय, कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर और कुछ दलों का समर्थन लेकर झारखण्ड का मुख्यमंत्री बन गया। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन पक्ष–विपक्ष के दो पाटों में होता है, पर यह अजूबा रहा।

कांग्रेस चाहती तो इस समय चुनाव करा सकती थी। उन्होंने यहां पर राजनीति किया। एक कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर अपने अनेक हित साधे। कहने वाले को कोई रोक नहीं सकता। इतने किस्से श्री मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री बनते ही शुरू हुए कि लगने लगा कि मधु कोड़ा मुख्यमंत्री कम दुधारू गाय अधिक हैं। मधु कोड़ा को कुर्सी पर बनाए रख इन लोगों ने झारखंड की ओर ध्यान नहीं दिया। सभी के अपने एजेंडे थे। अपने–अपने हित लाभ थे। माह तेईस बीत गए। इसी बीच हल्ला हुआ। कुछ समाचार पत्र नहीं, बल्कि एक समाचार पत्र द्वारा लगातार जनता के सामने सारी बातें, सारे घोटाले लाए जा रहे थे, पर जो मधु कोड़ा को समर्थन दे रहे थे, वे कांग्रेस, राजद, झामुमो पूरी तरह शांत थे। कोड़ा से विकास की क्या उम्मीद करते। वह तो पूरी तरह अपने को सुरक्षित करने में लग गए। वे कुंआरे थे, विवाहित हुए पर झारखंड को पूरी तरह विधवा बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस को कोई चिंता नहीं हुई। विरोध के स्वर फूटे।

कांग्रेस ने कहा चलो गुरूजी को बना दो। आरोपों में डूबे गुरूजी की तो पहले भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। वे अनिच्छित और व्याकुल थे। कांग्रेस ने यहां भी चाल चली। गुरूजी के कंधे पर बंदूक रख दिया। गुरूजी का सपना पूरा हुआ। गुरूजी जानते थे कि वे साल भर में क्या कर सकते हैं, पर हाय री कुर्सी! मरता क्या नहीं करता। वे पांच–छः माह तो रह ही सकते थे, वे रहे। संविधान के अनुसार उन्हें चुनाव लड़ना था, लड़े। एक निर्दलीय राजा पीटर से गुरूजी पिट गए। यहां यह कहना समीचीन होगा कि गुरूजी पिटे या जानबूझकर पिटवाए गए, उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता था।

गुरूजी की भद्द पिट गई। गुरूजी का यह हश्र किसी ने नहीं सोचा था। एक मुख्यमंत्री से निर्दलीय चित्त हो जाए, यह किसी ने नहीं सोचा था। कांग्रेस यही चाहती थी कि कैसे झामुमो सुप्रीमो को उसका दायरा समझ में आए। बेचारे गुरूजी क्या कर पाते। वे भी अपनी सुरक्षा में लगे रहे। फिर क्या था कांग्रेस ने शासन अपने हाथों में ले लिया। लगा दिया गया राष्ट्रपति शासन। केन्द्र की यूपीए यानि कांग्रेस को ऐसे नहीं वैसे सफलता मिली। उन्हें जो कुछ घोषणायें चुनाव की दृष्टि से करनी थी, उन्होंने की। स्थिरता वे भी नहीं दे पाए। संवैधानिक उपचारों की धज्जी उड़ा राष्ट्रपति शासन चलता रहा। इस बीच देश में लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस जो सो रही थी, उसे वैसी सफलता झारखंड में नहीं मिली। झारखंड में पासा उल्टा पड़ा। भाजपा को आठ लोकसभा (एक) सीटों पर और कांग्रेस को मात्र एक सीट पर सफलता मिली। भाजपा ने निर्दलीय रहे श्री नामधारी को समर्थन देकर अपनी एक सीट बढ़ा ली। शेष एक–एक सीटों पर तीनों पूर्व मुख्यमंत्री विजयी रहे। लोकसभा चुनाव में झारखंड ऐसा राज्य था, जहां लोकसभा में उसके सभी पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे और सभी के सभी विजयी रहे। कांग्रेस ने लोकसभा में देश में स्थिति पहले से अच्छी कर ली। उन्होंने झारखंड में चुनाव तत्काल कराने के बजाए, पुनः एक राजनीति खेली। हरियाणा, महाराष्ट्र और अरूणाचल के चुनाव घोषित कर दिए। झारखंड को छोड़ दिया। 22 अक्टूबर को जैसे ही यह परिणाम आया कि इन तीनों राज्य में प्रकारांतर से कांग्रेस की सरकार बन रही है, वैसे ही चुनाव आयोग ने 23 अक्टूबर को झारखंड का चुनाव घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, दो चरणों में जो चुनाव सम्पन्न हो सकते थे, उसे पांच चरणों में कर झारखंड में अस्थिरता बनाए रखने का क्रम जारी रखा।

झारखंड अपने जन्म से लेकर अभी तक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पहली बार चुनाव में अस्थिर सरकार मुद्दा बन पाया है। लोगों के मन में यह बात घर कर गई है कि अगर एक गठबंधन की सरकार झारखंड में नहीं बनी और निर्दलीय पुनः हावी रहे तो झारखंड को पुनः अस्थिरता की त्रासदी झेलनी होगी। अस्थिरता की त्रासदी से उबरना ही झारखंड की प्राथमिकता है।

अब सवाल उठता है कि जनता अस्थिरता के लिए किसे वोट देगी। पहली बात यदि जनता समझ गई है कि झारखंड की प्रगति और विकास में अस्थिरता सबसे बड़ी जड़ है, तो बात बन जाएगी। पिछले पंद्रह–बीस दिनों से हम देख रहे हैं कि सभी समाचार पत्रों में यह बात आ रही है कि झारखंड को चाहिए अस्थिर सरकार। जनभावना स्थिर सरकार की तलाश में है। चुनाव का पहला चरण सम्पन्न हो गया। अब 55 पचपन विधानसभा सीटों पर चुनाव चार चरणों पर होने हैं। जनता को चाहिए कि वह झारखंड का भविष्य देखें। उसे अभी भी मौका है कि वह शेष चार चरणों में स्थिरता के लिए वोट दें। अब देखना यह है कि झारखंड की जनभावना किस भावना पर खरी उतरती है या फिर वहीं ढाक के तीन पात। ■

झारखंड अपने जन्म से लेकर अभी तक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पहली बार चुनाव में अस्थिर सरकार मुद्दा बन पाया है। लोगों के मन में यह बात घर कर गई है कि अगर एक गठबंधन की सरकार झारखंड में नहीं बनी और निर्दलीय पुनः हावी रहे तो झारखंड को पुनः अस्थिरता की त्रासदी झेलनी होगी। अस्थिरता की त्रासदी से उबरना ही झारखंड की प्राथमिकता है।